



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 अगस्त, 2026

श्रावण 26, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 249/79-वि-1-2026-1-क-10-2026

लखनऊ, 17 अगस्त, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 जिससे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 14 अगस्त, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ‘उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय’ के नाम से एक राज्य वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम ‘उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय’ अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगा।

(3) यह दिनांक 13 मई, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

परिभाषाएँ

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; इस अधिनियम में, —

- (1) 'विद्या परिषद' तथा 'कार्य परिषद' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की विद्या परिषद तथा कार्य परिषद से है;
- (2) 'संबद्ध महाविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम और तदधीन बनायी गई परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय से है;
- (3) 'संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य विषय/संकाय प्रमुख से है, जो संकाय बोर्ड का अध्यक्ष भी हो;
- (4) 'छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य छात्र कल्याण, परामर्श और छात्र नियोजन संकायाध्यक्ष से है;
- (5) 'निदेशक' का तात्पर्य शिक्षा निदेशक और अनुसंधान एवं विस्तार निदेशक से है;
- (6) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शिक्षण संकाय से है;
- (7) 'वानिकी' का तात्पर्य और इसमें सम्मिलित वन संवर्धन, पादप प्रजनन, कृषि वानिकी, जैव मण्डल की पारिस्थितिकी का संरक्षण, वन्य जीव, रेशम कीट पालन, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे तथा उनके उत्पादों से संबंधित मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान से है;
- (8) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश का राज्यपाल से है;
- (9) विश्वविद्यालय के 'हॉल' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों के लिए एक ऐसी इकाई से है, जिसमें शिक्षकीय एवं अन्य अनुपूरक अनुदेश प्रदान करने के लिए उपबन्ध किया जाता है;
- (10) 'औद्यानिकी' का तात्पर्य फलों, सब्जियों, पुष्प कृषि, बागान फसलों, मसालों, हॉप्स के मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान से है और इसमें मशरूम की खेती, भू-दृश्यांकन, मधुमक्खी पालन, बागवानी उत्पादों का विपणन और प्रसंस्करण सम्मिलित होगा;
- (11) विश्वविद्यालय के 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों के लिए एक ऐसी आवास इकाई से है, जो हॉल से भिन्न हो;
- (12) 'संस्थान' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान से है;
- (13) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के वही अर्थ होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में निर्दिष्ट है;
- (14) 'वेतनमान' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अपनाये गये वेतनमान से है;
- (15) 'विहित' का तात्पर्य है, परिनियमावली द्वारा विहित से है;
- (16) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;
- (17) 'परिनियमावली', 'अध्यादेश' और 'विनियमावली' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की परिनियमावली अधिनियम और विनियमावली से है;
- (18) 'विश्वविद्यालय के शिक्षक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक प्रोफेसर और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी संस्थान में या किसी घटक, सम्बद्ध या सहबद्ध महाविद्यालय में शिक्षा देने तथा मार्गदर्शन करने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जाए और इसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं;
- (19) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालय से है;
- (20) 'यूजीसी' का तात्पर्य 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से है।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

3—(1) कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्य, जो विश्वविद्यालय में इस रूप में वर्तमान में पद धारण कर रहे हैं, मिलकर 'उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय' के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

विश्वविद्यालय
का
निगमितीकरण

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायेगा।

4—(1) विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे उनकी जाति या धर्म या लिंग कुछ भी हो, किन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्यादेशों या परिनियम या विनियम द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं समझी जाएगी:

विश्वविद्यालय
समस्त वर्गों एवं
पंथों के लिए
होगा

परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों के सम्बंध में शिक्षण और अनुसंधान परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

(3) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसे पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या के शिक्षण के आयोजन के लिए जिम्मेदार अधिकारी अध्यादेशों या परिनियमों या विनियमों के अनुसार होंगे।

5—विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे —

विश्वविद्यालय
के उद्देश्य

(क) संगठित एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना तथा वानिकी, औद्यानिकी एवं अन्य संबंधित विषयों में ज्ञान का प्रसार एवं उन्नयन करना;

(ख) वानिकी, औद्यानिकी और अन्य सम्बंधित विषयों में अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाना;

(ग) वानिकी, औद्यानिकी और सम्बंधित विषयों के क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न मॉड्यूल विकसित करना;

(घ) विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से वन और पौधों की जैव-विविधता का संरक्षण और सतत् उपयोग सुनिश्चित करना;

(ङ) वानिकी, औद्यानिकी और सम्बंधित विषयों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की योजना और मूल्यांकन के लिए उद्यमिता विकसित करना और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

6—विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात: —

विश्वविद्यालय
की शक्तियां
और कर्तव्य

(एक) वानिकी और औद्यानिकी की शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने में 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में कार्य करना और उन शाखाओं में अनुसंधान और ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए प्रावधान करना और उनकी मान्यता का प्रबंधन करना;

(दो) किसी महाविद्यालय को मान्यता या सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान करना, ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना तथा सम्बद्ध एवं सहबद्ध महाविद्यालयों के कार्य का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

(तीन) डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना;
(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना, तथा उन्हें डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना, जो—

(क) विश्वविद्यालय में अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम पूरा किया हो;

(ख) विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से, परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अनुसंधान किया हो; या

(ग) चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहते हों या नहीं, पत्राचार द्वारा अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम पूरा किया हो और विश्वविद्यालय द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों और अध्यादेशों में बाह्य अभ्यर्थी के रूप में निर्धारित की जाएं, पंजीकृत किया गया हो; या

(घ) विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में, परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन शिक्षक या अन्य कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण अधिकारी हैं और परिनियमों और अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी अध्ययन कर रहे हैं;

(पांच) वानिकी और औद्यानिकी में विज्ञान स्नातक, वानिकी और औद्यानिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर, वानिकी और औद्यानिकी में डिप्लोमा, वानिकी और औद्यानिकी विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करना, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र हैं;

(छः) संविधि में निर्धारित तरीके और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के छात्र न होने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसे व्याख्यान और निर्देश प्रदान करना जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(आठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ ऐसे तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए सहयोग या सहकार्य करना जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(नौ) छात्रवृत्ति, फेलोशिप, वजीफा, पदक, पुरस्कार स्थापित करना और प्रदान करना तथा अन्य छात्र कल्याण गतिविधियाँ चलाना;

(दस) किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी डिग्री को अपनी डिग्री के समतुल्य या हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समतुल्य परीक्षा के समतुल्य मान्यता देना;

(ग्यारह) अनुसंधान संस्थानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य चीजों की स्थापना, रखरखाव तथा प्रशासन करना;

(बारह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण, प्रशासनिक, लिपिकीय, तकनीकी, गैर-शिक्षण तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(तेरह) महाविद्यालयों की संबद्धता या मान्यता की शर्तें निर्धारित करना तथा आवधिक निरीक्षण द्वारा और अन्यथा स्वयं को संतुष्ट करना कि वे शर्तें पूरी होती हैं;

(चौदह) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हॉल और छात्रावास स्थापित करना और उनका रखरखाव करना तथा निवास स्थानों को मान्यता देना;

(पंद्रह) अध्यादेशों या परिनियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना;

(सत्रह) ऐसी सभी गतिविधियाँ और ऐसे कार्य करना, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हों।

(अट्ठारह) किसानों, वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को वानिकी, औद्यानिकी, कृषि वानिकी और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य उन्नत कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।

अध्याय—तीन निरीक्षण और जाँच

7—(1) राज्य सरकार की यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय का, जिसके अंतर्गत उसके भवन, प्रयोगशालाएं कार्यशालाएं और उपस्कर भी हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय/सहबद्ध महाविद्यालय या किए जाने वाले परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य सभी कार्यों का, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, द्वारा जैसा वह निर्देश दे, निरीक्षण कराए या विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले के सम्बन्ध में उसी प्रकार जाँच कराए।

परिदर्शन और जाँच

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने का विनिश्चय करती है, वहाँ वह कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को इसकी सूचना देगी और कार्य परिषद द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा:

परन्तु यह कि कोई भी विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण या जाँच में विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित नहीं होगा, बहस नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा।

(3) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित करेगी और कुलपति राज्य सरकार के विचारों को कार्य परिषद को ऐसी सलाह के साथ सूचित करेगा जो राज्य सरकार उस पर की जाने वाली कार्यवाई के सम्बन्ध में दे।

(4) कुलपति, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर, कार्य परिषद द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाई नहीं करते हैं, तो सरकार विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे, और विश्वविद्यालय प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(6) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण या जाँच की प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति तथा उपधारा (4) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की प्रति तथा उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निदेश की प्रति तथा ऐसे निदेशों के अनुपालन या गैर-अनुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की प्रति कुलाधिपति को भेजेगी।

(7) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं जो इस अधिनियम, या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हैं:

परन्तु यह कि ऐसा आदेश के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा करेंगे कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये और बताये गये कारण पर यदि कोई हो, स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विचार करेंगे।

अध्याय—चार विश्वविद्यालय के अधिकारी

8—विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे:—

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रतिकुलपति;
- (घ) निदेशक, शिक्षा;
- (ङ) निदेशक, अनुसंधान एवं विस्तार;
- (च) कुलसचिव;
- (छ) वित्त नियंत्रक;
- (ज) परीक्षा नियंत्रक;
- (झ) छात्र कल्याण; संकायाध्यक्ष
- (ट) संकायाध्यक्ष;
- (ठ) सम्पदा अधिकारी;
- (ड) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाधिपति

9—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। अपने पद के आधार पर वह विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और उपस्थित होने पर विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रशासन से सम्बंधित ऐसी जानकारी या अभिलेख उपलब्ध कराए, जो कुलाधिपति मांगे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदान की जाएं।

कुलपति

10—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार गठित खोज-सह-चयन समिति द्वारा उसे अनुशंसित नामों के पैनल में से की जाएगी।

(2) (क) कुलपति का चयन निम्नलिखित में से किया जाएगा:—

(एक) भारतीय वन सेवा के अधिकारी जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या उससे ऊपर के वेतनमान में कार्य किया हो या कर रहे हों तथा जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो; या

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तथा प्रमुख सचिव या उससे ऊपर के वेतनमान में कार्य किया हो या कर रहे हों तथा जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो; या

(तीन) प्रतिष्ठित शिक्षाविद् या वैज्ञानिक जिनके पास वानिकी या बागवानी के क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री है, साथ ही राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों या अन्य समान संस्थानों के अनुसंधान या विस्तार प्रणाली से प्रोफेसर या समकक्ष पद पर शिक्षण और अनुसंधान में न्यूनतम 10 वर्षों का सेवा अनुभव है, और जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है:

परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

(ख) कुलपति, अपने पदभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक या अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसे त्याग-पत्र को स्वीकार कर लेने पर वह अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा खोज एवं चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार;

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार;

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वन एवं वन्य जीव विभाग;

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग;

(ङ) दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, वानिकी और औद्यानिकी के क्षेत्र से एक-एक, जो डीन के पद से नीचे न हों, या तो राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों या राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में सेवारत हों या सेवानिवृत्त हों, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा।

(4) समिति, जहां तक संभव हो, उस तारीख से कम से कम साठ दिन पहले, जिसको उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन पदावधि की समाप्ति या त्याग-पत्र के कारण कुलपति के पद में रिक्त होनी है, तथा जब भी अपेक्षित हो और कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से पहले, कुलपति का पद धारण करने के लिए कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच योग्य व्यक्तियों के नाम कुलाधिपति को भेजेगी। समिति, नाम प्रस्तुत करते समय, कुलाधिपति को इस प्रकार अनुशंसित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वरीयता क्रम नहीं दर्शाएगी।

(5) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा अनुशंसित किसी एक या अधिक व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझता है या यदि अनुशंसित व्यक्तियों में से एक या अधिक नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं या नहीं हैं और कुलाधिपति की पसंद तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित है, तो वह समिति से उपधारा (4) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाएं।

(7) कुलपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त होने की स्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में या किसी अन्य कारण से, शिक्षा निदेशक या अनुसंधान और विस्तार निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति के कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनकी अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि कुलाधिपति समय-समय पर इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि को बढ़ा सकेगा, तथापि ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(8) जब तक उपधारा (1) या उपधारा (9) के अधीन नियुक्त कुलपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, या जहां प्रतिकुलपति नहीं है, वहां विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(9) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने से इंकार करता है या उसे निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक है तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा।

(10) उपधारा (11) में निर्दिष्ट किसी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसके विचाराधीन रहने पर, कुलाधिपति आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक,—

(क) ऐसा कुलपति कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह वे उपलब्धियां प्राप्त करता रहेगा, जिनका वह उपधारा (6) के अधीन अन्यथा हकदार था।

(ख) कुलपति के कार्यालय के कार्य आदेशों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

11-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और:—

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

(क) विश्वविद्यालय के मामलों के उचित प्रशासन और शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा के घनिष्ठ समन्वय और एकीकरण के लिए जिम्मेदार होगा;

(ख) विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा, जिसमें विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय और उसके द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान तथा उसके सम्बद्ध और सहबद्ध महाविद्यालय भी हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेगा;

(घ) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में बैठकों तथा विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को उचित समय पर आयोजित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र प्रकाशित किए जाएं तथा विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र उचित तिथियों पर शुरू और समाप्त हो।

(2) कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकों में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु इस उपधारा के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करे, तथा धारा 9 और 58 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके पास ऐसी सभी शक्तियां होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति की बैठकें बुलाने या बुलाए जाने की शक्ति होगी:

परन्तु यह कि वह यह शक्ति विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकेगा।

(6) जहां नियुक्ति से भिन्न कोई अन्य मामला अत्यावश्यक प्रकृति का हो और उस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो और उसे विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर कार्रवाई करने के लिए सशक्त हो, तत्काल नहीं निपटाया जा सकता हो, वहां कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरन्त कुलाधिपति को तथा उस अधिकारी, प्राधिकरण या अन्य निकाय को भी देगा, जो सामान्य अनुक्रम में उस मामले पर कार्रवाई करता:

परन्तु यह कि कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों से विचलन अंतर्वलित होगा:

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकरण या अन्य निकाय की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को भेज सकता है, जो कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है या उसे ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे और इसके बाद वह प्रभावी नहीं रहेगी या, जैसा भी मामला हो, संशोधित रूप में प्रभावी होगी, तथापि, ऐसे रद्दीकरण या उपान्तरण से कुलपति द्वारा या उसके आदेशों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई भी व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, उसे ऐसी कार्रवाई पर निर्णय करने के दिनांक से तीन महीने के भीतर कार्य परिषद में ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तत्पश्चात् कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि, उपान्तरण या उलट सकती है।

(7) उपधारा (6) की कोई बात कुलपति को ऐसा कोई व्यय करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी जो बजट में सम्यक् रूप से प्राधिकृत और उपबंधित न हो।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या शिक्षक की नियुक्ति अंतर्वलित है, वहां ऐसी नियुक्ति विहित रीति से नियुक्ति किए जाने पर या कुलपति के आदेश के दिनांक से छह मास की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(10) (क) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी अंतिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस संबंध में कुलपति के निर्देशों का पालन विभागाध्यक्षों और छात्रावासों द्वारा किया जाएगा;

(ख) खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति की रिपोर्ट पर किसी छात्र को परीक्षा से वंचित करने या विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की सजा पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया जाएगा और लगाया जाएगा:

परन्तु यह कि संबंधित छात्र को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई सजा नहीं दी जाएगी।

(11)–(क) कुलपति, यदि आवश्यक समझे, तो कार्य परिषद के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसरों में से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए एक प्रति-कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं।

(ख) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति, प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(ग) प्रतिकुलपति, कुलपति की इच्छानुसार पद धारण करेगा।

(घ) प्रतिकुलपति, कुलपति को ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा, जो कुलपति द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं।

(ङ) प्रतिकुलपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जाएं।

12—(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो विहित की जाएं। कुलसचिव

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख प्रमाणित करने का अधिकार होगा।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा तथा प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी जानकारी रखने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य संचालन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जा सकते हैं या कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलसचिव को विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के कार्य के लिए न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह उसे स्वीकार करेगा सिवाय इसके कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा इस हेतु प्रावधान किया गया हो।

(5) उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार को सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध, नियमों के तहत विहित शर्तों पर रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

13—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त नियंत्रक होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसका पारिश्रमिक और भत्ते विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। वित्त नियंत्रक

(2) वित्त नियंत्रक कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियां निकालने और वितरित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(3) वित्त नियंत्रक को कार्य परिषद की कार्यवाही में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह वोट देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा—

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा बजट में प्राधिकृत के अलावा कोई व्यय नहीं किया जाए;

(ख) किसी प्रस्तावित व्यय को अस्वीकृत करना जो इस अधिनियम के उपबंधों या किसी परिनियम की शर्तों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न हो तथा लेखापरीक्षा के दौरान बताई गई किसी भी अनियमितता को ठीक करने के लिए कदम उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश का समुचित संरक्षण और प्रबंधन किया जाए।

(5) वित्त नियंत्रक की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा तथा उसके कार्यों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा जो उसकी राय में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) सभी अनुबंध विश्वविद्यालय की ओर से वित्त नियंत्रक द्वारा किए जाएंगे तथा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(7) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियां और कार्य ऐसे होंगे, जैसा विहित किया जाए।

परीक्षा
नियंत्रक

(8) एक लेखा अधिकारी को सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध, परिनियमों के अधीन विहित शर्तों पर वित्त नियंत्रक की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

14—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक परीक्षा नियंत्रक होगा, जो विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा उसका पारिश्रमिक एवं भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा तथा ऐसी समिति के समक्ष ऐसी सभी जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जा सकते हैं या समय-समय पर कार्य परिषद या कुलपति द्वारा अपेक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक का अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा तथा इस संबंध में उसे रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा तथा उनसे संबंधित सभी व्यवस्थाएं करेगा तथा उनसे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह उसे स्वीकार करेगा सिवाय इसके कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा इस हेतु प्रावधान किया जाय।

(7) जब परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तब उस पद के सभी कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जब तक कि परीक्षा नियंत्रक अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता या, यथास्थिति, रिक्ति नहीं भर दी जाती।

(8) अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक को सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध परिनियमों के तहत विहित शर्तों पर परीक्षा नियंत्रक की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

डीन/
संकायाध्यक्ष

15—(1) डीन/ संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों में से ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(2) डीन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अन्य मामलों के प्रबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति की सहायता करेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो कुलपति द्वारा विहित किए जाएं या उन्हें सौंपे जाएं।

(3) प्रत्येक संकाय के लिए एक डीन होगा, जो संकाय का वरिष्ठतम प्रोफेसर होगा और निर्धारित अवधि के लिए पद पर रहेगा।

(4) डीन, छात्र कल्याण-(एक) छात्रों की सलाह और परामर्श के कार्यक्रम की योजना बनाएंगे और उसका निर्देशन करेंगे और विश्वविद्यालय के स्नातकों की नियुक्ति में सहायता करने और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए संभावित नियोक्ताओं और रोजगार एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करेंगे;

(दो) छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों जैसे खेल, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजक गतिविधियाँ, एनसीसी, एनएसएस और संचार कौशल सुधार और अन्य संबद्ध गतिविधियों की योजना बनाएंगे और उनका आयोजन करेंगे;

(तीन) छात्रों के छात्रावास, कैफेटेरिया और मेस की व्यवस्था और प्रबंधन की निगरानी करेंगे;

(चार) विश्वविद्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कल्याणकारी उपायों की निगरानी और नियंत्रण करेंगे।

संपदा
अधिकारी

16—विश्वविद्यालय के लिए एक संपदा अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसका पारिश्रमिक और भत्ते विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। संपदा अधिकारी विश्वविद्यालय की सभी इमारतों, सड़कों, खेल के मैदानों, लॉन, उद्यानों और अन्य संपत्तियों की हिरासत, रखरखाव और प्रबंधन, विश्वविद्यालय की अचल और चल संपत्ति की खरीद और निपटान और निर्धारित अन्य जिम्मेदारियों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

17—(1) निदेशक, शिक्षा तथा निदेशक अनुसंधान एवं विस्तार की नियुक्ति विश्वविद्यालय के संकाय में से ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

निदेशक, शिक्षा तथा निदेशक अनुसंधान एवं विस्तार

(2) शिक्षा निदेशक, शिक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता, नीतिगत मामलों और आवासीय विद्यालयों से संबंधित व्यवस्था के लिए योजना और शैक्षिक समन्वय अनुदेशन, परीक्षा और मूल्यांकन की देखरेख, पाठ्यक्रम का विकास और प्रवर्तन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास, संकाय का मानव संसाधन विकास, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण आदि के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) निदेशक, अनुसंधान एवं विस्तार धारा 20 में निर्धारित विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यक्रमों के निर्देशन एवं समन्वय तथा अनुसंधान केन्द्रों के कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के धारा 21 में निर्धारित विस्तार कार्यक्रमों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(4) निदेशक, अनुसंधान और विस्तार वैज्ञानिक पत्रिकाओं में वार्षिक रिपोर्ट, अनुसंधान हाइलाइट्स, अनुसंधान बुलेटिन, परिपत्र और लेख प्रकाशित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे, जो संकायों के डीन के सहयोग से विश्वविद्यालय में किए गए कार्यों के अनुसंधान निष्कर्षों का सारांश देते हैं।

(5) निदेशक, अनुसंधान और विस्तार विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में संकायों के डीन और शिक्षा निदेशक के साथ निकट परामर्श में काम करेंगे।

18—(1) कुलाधिपति, कुलपति, संकायाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के अलावा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी परिणियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

अन्य अधिकारी और उनके वेतनमान

(2) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, जिनमें डीन, वित्त नियंत्रक, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक शामिल हैं, का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में निर्धारित वेतनमान के अनुसार होगा।

अध्याय—पाँच

शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार

19—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में शिक्षा में वानिकी, औद्यानिकी और संबद्ध विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों में स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम तथा अल्पावधि डिप्लोमा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

शिक्षा कार्यक्रम

(2) शैक्षिक कार्यक्रम राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप होंगे।

(3) विश्वविद्यालय शिक्षकों की क्षमता निर्माण, ई-लर्निंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम ज्ञान साझाकरण आदि के लिए पहल करेगा तथा न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास करेगा।

(4) वानिकी और औद्यानिकी शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य सक्षम और कुशल स्नातक और स्नातकोत्तर तैयार करना होगा।

(5) वानिकी और औद्यानिकी शिक्षा के कार्यक्रमों का उद्देश्य अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से वानिकी, औद्यानिकी और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल को उन्नत करना भी होगा।

20—(1) इस अधिनियम और परिणियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय वानिकी, औद्यानिकी, सामाजिक विज्ञान और संबद्ध विज्ञानों में रणनीतिक, बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करेगा।

अनुसंधान/शोध

(2) विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वानिकी, औद्यानिकी और अन्य संबद्ध शाखाओं में अनुसंधान क्रियाकलापों पर नियंत्रण की प्रमुख एजेंसी होगी।

(3) विश्वविद्यालय सरकार की सहमति से परिचालन अनुसंधान सहित अनुसंधान के संचालन के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकार में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्षेत्रीय/क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन एवं उपस्टेशन स्थापित कर सकता है।

21—(1) विश्वविद्यालय में विस्तार कार्यक्रम स्थापित किए जाएंगे और इस अधिनियम तथा परिणियम के उपबंधों के अधीन कृषि वानिकी, उद्यान और लकड़ी आधारित उत्पादन में त्वरित वृद्धि के लिए किसानों और अन्य लोगों को शोध निष्कर्षों पर आधारित प्रौद्योगिकी का आकलन तथा परिशोधन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने में सुविधा प्रदान की जायेगी। इन कार्यक्रमों में विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल होगा। विस्तार कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों और केंद्र और राज्य की अन्य उपयुक्त एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा।

विस्तार

(2) विश्वविद्यालय राज्य में वानिकी और औद्यानिकी विस्तार के मॉडल विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

शिक्षण,
अनुसंधान और
विस्तार का
एकीकरण

22—(1) कुलपति विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के परामर्श से ऐसे कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो विश्वविद्यालय के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के पूर्ण एकीकरण के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(2) शिक्षण संवर्ग में आने वाला प्रत्येक संकाय सदस्य शैक्षणिक वर्ष में अपने समय का एक हिस्सा शिक्षण के अलावा अनुसंधान और विस्तार करने के लिए कार्य परिषद द्वारा तय किया जाएगा।

(3) इसी तरह अनुसंधान या विस्तार पर वहन किया गया प्रत्येक संकाय सदस्य एक शैक्षणिक वर्ष में अपने समय का एक हिस्सा शिक्षण और अनुसंधान करने के लिए कार्य परिषद द्वारा तय किया जा सकता है।

(4) विश्वविद्यालय राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विस्तार के अपने कार्यक्रम विकसित करेगा तथा सरकार और अन्य हितधारकों को उपयुक्त तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

अध्याय—छः

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय
के प्राधिकारी

23—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे:—

- (क) कार्य परिषद;
- (ख) शैक्षणिक परिषद;
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) संकाय बोर्ड;
- (ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां;
- (च) प्रवेश समिति;
- (छ) परीक्षा समिति; और
- (ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।

कार्य परिषद्
का गठन

24—(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे: —

- (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सचिव स्तर से निम्न न हो;
- (ग) प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग उत्तर प्रदेश;
- (घ) सचिव/विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;
- (ङ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;
- (च) वित्त नियंत्रक;
- (छ) कुलसचिव, जो समिति का सचिव होगा;
- (ज) संकायाध्यक्ष;
- (झ) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (ञ) परीक्षा नियंत्रक;
- (ट) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष के अलावा विश्वविद्यालय के एक सह-आचार्य और एक आचार्य जिनका चयन विहित तरीके से किया जाएगा।

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) कोई व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य (पदेन सदस्य को छोड़कर) होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध महाविद्यालय की सेवा में है या विश्वविद्यालय में या उसके लिए किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करता है या विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति या विश्वविद्यालय के लिए किसी कार्य के निष्पादन के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात किसी शिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के संबंध में किए गए किसी कर्तव्य के लिए या किसी हॉल और छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन के रूप में किसी कर्तव्य के लिए या विश्वविद्यालय के संबंध में समान प्रकृति के किसी कर्तव्य के लिए किसी पारिश्रमिक को स्वीकार करने पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा में "संबंधी" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 6 में परिभाषित तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी (परिभाषा विवरण विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के अंतर्गत विहित संबंधों से है:

(4) यदि कार्य परिषद का कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है या विकृत चित हो जाता है, या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े किसी दाण्डिक अपराध का दोष सिद्ध पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(5) कुलपति, आचार्य या संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य भी सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है, या यदि वह पदेन सदस्य नहीं है, तो कुलाधिपति की अनुमति के बिना कार्य परिषद की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है।

(6) पदेन सदस्य से भिन्न कार्यकारी परिषद का कोई भी सदस्य कुलपति को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा यथाशक्य शीघ्र कुलपति द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात प्रभावी होगा।

(7) कार्य परिषद में कोई भी रिक्ति संबंधित नाम निर्देशन प्राधिकारी द्वारा नामांकन के माध्यम से भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि समाप्त होने पर ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा।

25— (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य रखेंगी, अर्थात्:—

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारण और नियंत्रित करना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से कोई चल या अचल संपत्ति अर्जित या अन्तरित करना;

(तीन) परिनियमावली और अध्यादेश बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;

(चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधीन रखी गई किसी निधि को प्रशासित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छह) परिनियमावली और अध्यादेश के अनुसार छात्रवृत्ति, फेलोशिप, वजीफा, पदक और अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना तथा उनके पदों पर अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपबंध करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा एवं अन्य भत्ते निर्धारित करना;

(नौ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त या संघटक महाविद्यालयों, हॉलों और छात्रावासों के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्रपत्र और उपयोग को निदेश देना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के शिक्षण, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृद्ध के बीच परिनियमावली और अध्यादेश के अनुसार अनुशासन को विनियमित करना और प्रवर्तित करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, संपत्ति, कारबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जिन्हें वह उपयुक्त समझे;

(तेरह) विश्वविद्यालय की निधियाँ जमा करने और निकालने की व्यवस्था करना।

(चौदह) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण तथा अन्य साधन सहित उपलब्ध कराना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(सोलह) अध्यादेश और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालयों एवं संस्थानों से संबंधित अन्य सभी मामलों को विनियमित और अवधारित करना।

(सत्रह) विभिन्न शैक्षणिक विभागों और अनुसंधान केंद्रों के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विश्वविद्यालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और सुधार के लिए, जैसा आवश्यक समझा जाए, निदेश देना।

कार्य परिषद की
शक्तियाँ और
कर्तव्य

(2) विश्वविद्यालय की कोई भी अचल संपत्ति, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, कार्य परिषद द्वारा बंधक, बिक्री, विनिमय, दान या अन्यथा रूप में (प्रबंध के सामान्य क्रम में महीने दर महीने किराये पर देने के अलावा) अन्तरित नहीं की जाएगी और न ही राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को कोई अनुदान प्राप्त होने की शर्त के सिवाय या किसी अन्य व्यक्ति से राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ उसकी सुरक्षा पर कोई धन उधार लिया जाएगा या अग्रिम लिया जाएगा,

(3) ऐसा कोई व्यय, जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पहले से प्राप्त अनुमोदन के सिवाय नहीं किया जाएगा, और विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय (या राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय) कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा।

(4) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक का अधिसंख्य पद सृजित कर सकेगी, ताकि ऐसे शिक्षक को, जो वर्तमान में भारत में या विदेश में शैक्षिक प्रशासन या अन्य समरूप कार्यभार में राष्ट्रीय महत्व का कोई जिम्मेदार पद धारण किए हुए है, अपने कार्यभार की अवधि के दौरान अपने वेतनमान में वेतन वृद्धि बनाए रखने और भविष्य निधि में अंशदान करने तथा सेवानिवृत्ति लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाया जा सके, यदि परिनियमावली के अनुसार हो:

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक को ऐसे कर्तव्यभार की अवधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन संदेय नहीं होगा।

(5) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन और अन्य भत्ते ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाए।

(6) कार्य परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपगत वित्त समिति द्वारा निर्धारित आवर्ती व्यय की सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद् शिक्षकों की संख्या, अर्हता और परिलब्धियों तथा परीक्षकों को संदेय फीस के संबंध में, विद्या परिषद् और संबंधित संकाय बोर्डों की सलाह पर विचार करने के पश्चात् ही कोई कार्रवाई करेगी।

(8) कार्य परिषद, परिनियमावली में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, अपनी ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(9) कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी। किसी भी बैठक में कार्य परिषद के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति पूरी होगी।

(10) कार्य परिषद के सभी विनिश्चय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय के आधार पर लिये जायेंगे। कार्य परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर होते हैं, तो कार्य परिषद के अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास इसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा।

(11) यदि कार्य परिषद द्वारा तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति कार्यकारी परिषद के सदस्यों को कागजात वितरित करके कारबार के संचालन की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कार्य परिषद के सदस्यों के बहुमत से सहमति न हो। इस प्रकार की गई कार्यवाही की सूचना तुरंत कार्य परिषद के सभी सदस्यों को दी जाएगी। यदि संबंधित प्राधिकारी विनिश्चय करने में विफल रहता है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विद्या परिषद

26—(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों को विहित करने और पाठ्यक्रम औधारित करने की शक्ति रखेगी, और विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षण और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखेगी।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात:—

(एक) कुलपति;

(दो) संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष;

(चार) परीक्षा नियंत्रक;

(पांच) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय से दो आचार्य, दो सह आचार्य और दो सहायक आचार्य, (विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों सहित) जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(छः) वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश का मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण;

(सात) शैक्षणिक ख्याति के पाँच व्यक्ति जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(3) विद्या परिषद विश्वविद्यालय में दी जाने वाली या संचालित शिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) इसके पास अपने नियंत्रण के अध्याधीन सभी शैक्षणिक मामलों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम और परिनियमावली एवं अध्यादेशों के अनुरूप विनियम बनाने और ऐसे विनियमों को संशोधित या निरसित करने की शक्ति होगी।

(5) विशेष रूप से, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं से संबंधित मामलों सहित सभी शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद और कुलपति को सलाह देना;

(दो) अनुसंधान और विस्तार एवं शिक्षा में पदों सहित आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य शिक्षण पदों की संस्थापना के लिए सिफारिशें करना;

(तीन) संकाय, महाविद्यालय, शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा विभाग की स्थापना या समािलन या समाप्ति के लिए सिफारिशें करना;

(चार) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विनियम बनाना और प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या निर्धारित करना;

(पांच) उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम बनाना;

(छः) परीक्षाओं के संचालन से संबंधित विनियम बनाना और शिक्षा के मानकों को बनाए रखना और सुधारना;

(सात) मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में कार्य परिषद को सिफारिशें करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए विहित अर्हताओं के संबंध में सिफारिशें करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देना और समय-समय पर ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्ट मांगना;

(दस) फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता का समय, मोड और शर्तें तय करना और उन्हें पुरस्कार देने के लिए सिफारिश करना;

(ग्यारह) अध्ययन के विहित पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम को मंजूरी देना और विहित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूचियों को मंजूरी या संशोधित करना और उन्हें प्रकाशित करना।

(6) विद्या परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी। किसी भी बैठक में विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति पूरा होगा।

(7) विद्या परिषद् के सभी विनिश्चय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय के आधार पर लिये जायेंगे। परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर हों तो विद्या परिषद् के अध्यक्ष के पास इसके अलावा एक निर्णायक मत भी होगा।

(8) यदि विद्या परिषद् द्वारा तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो जाती है, तो विद्या परिषद् के अध्यक्ष विद्या परिषद् के सदस्यों को कागजात प्रसारित करके कारबार की अनुमति दे सकते हैं। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत से सहमति न हो। इस प्रकार की गई कार्यवाही की सूचना तुरंत विद्या परिषद् के सभी सदस्यों को दी जाएगी। यदि संबंधित प्राधिकारी विनिश्चय लेने में विफल रहता है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) पदेन सदस्यों के अलावा विद्या परिषद् के नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

27—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राज्य सरकार या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सचिव से निम्न न हो;

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राज्य सरकार या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सचिव से निम्न न हो;

(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सचिव से निम्न न हो;

(ङ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, राज्य सरकार या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सचिव से निम्न न हो;

(च) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(छ) डीन;

(ज) कुलसचिव;

(झ) परीक्षा नियंत्रक; और

(ञ) वित्त नियंत्रक, जो समिति का सचिव भी होगा।

विद्या परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य

वित्त समिति

वित्त समिति के
कार्य एवं कर्तव्य

(2) वित्त समिति के कार्य और कर्तव्य इस प्रकार होंगे:—

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जांच और जांच करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों पर सिफारिशें करना;

(दो) नए व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद को सिफारिशें करना। ग्रेड में संशोधन, वेतनमान के उन्नयन और उन मदों से संबंधित सभी प्रस्ताव जो बजट में शामिल नहीं हैं, उन पर कार्य परिषद द्वारा विचार करने से पहले वित्त समिति द्वारा जांच की जाएगी;

(तीन) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों पर विचार करना और अनुमोदन के लिए वित्त समिति के समक्ष रखना और उसके बाद कार्य परिषद को प्रस्तुत करना;

(चार) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय की सीमाएं तय करना और, किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित व्यय की सीमाओं को संशोधित करना और इस प्रकार तय की गई सीमाएं कार्य परिषद के लिए बाध्यकारी होंगी;

(पांच) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर कार्य परिषद को अपने विचार और सलाह देगी।

(3) जब तक वित्त समिति द्वारा वित्तीय निहितार्थ वाले प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की जाती है, तब तक कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं लेगी, और यदि कार्य परिषद वित्त समिति की सिफारिश से असहमत है, तो वह असहमति के कारणों के साथ प्रस्ताव को वित्त समिति को वापस भेज देगी और यदि कार्य परिषद फिर से वित्त समिति की सिफारिश से असहमत है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(4) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी। किसी भी बैठक में वित्त समिति के एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

(5) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होंगे जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा प्रदान किए जाएं।

संकाय और
विभागाध्यक्ष

28-(1) विश्वविद्यालय में वानिकी, औद्यानिकी तथा अन्य ऐसे संकाय होंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे शिक्षण विभाग शामिल होंगे, जैसा कि विहित किया जा सकेगा और प्रत्येक विभाग में अध्ययन के विषय होंगे, जो अध्यादेशों और परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएंगे।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अंतर्गत उसके सदस्यों का कार्यकाल भी है), शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा विहित किया जाए।

(4) संकाय का डीन संबंधित संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और इसके लिए जिम्मेदार होगा,—

(क) संकाय में सम्मिलित विभागों के शिक्षण और अनुसंधान कार्य का संगठन और संचालन; और

(ख) संकाय से संबंधित विधियों, अध्यादेशों और विनियमों का समुचित पालन;

(5) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित होगी।

(6) विभागाध्यक्ष, विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उसके पास ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे, जैसा कि अध्यादेशों या परिनियमों में उपबंधित किया जा सकेगा।

(7) अध्यादेशों या परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विभिन्न अध्ययन विषयों के संबंध में अध्ययन बोर्ड गठित किए जाएंगे और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

प्रवेश समिति

29-(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन बाद के अध्यादेशों या परिनियमों में उपबंधित अनुसार किया जाएगा।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह उचित समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत या मानदंड निर्धारित करेगी।

(4) इस अधिनियम के किसी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के अधीन किसी संस्थान में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटें ऐसे आदेशों द्वारा आरक्षित की जाएंगी, जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी और विनियमित करेगी।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कुलपति को ऐसे उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को रद्द करने की शक्ति होगी।

30—(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन बाद के अध्यादेशों या परीक्षा समिति परिनियमों में उपबंधित अनुसार किया जाएगा।

(2) समिति सामान्यतः विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का पर्यवेक्षण करेगी, जिसमें संशोधन और सारणीकरण भी शामिल है तथा निम्नलिखित अन्य कार्य भी करेगी, अर्थातः—

(क) परीक्षकों और मॉडरेटरों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) समय-समय पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा करना तथा उस पर रिपोर्ट विद्या परिषद को प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विद्या परिषद को सिफारिशें करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की जांच करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी संख्या में उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे, और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित मामलों से निपटने और उन पर निर्णय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप-समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हों, यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से वंचित कर दे, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी ऐसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

31—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा अन्य प्राधिकारी विहित किया जाए।

अध्याय—सात

महाविद्यालयों की संबद्धता और मान्यता

32—(1) कार्य परिषद् किसी ऐसे वानिकी एवं औद्योगिकी महाविद्यालयों को, जो संबद्धता की ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं, संबद्धता के विशेषाधिकार दे सकेगी या पहले से संबद्ध या उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ा सकेगी, ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कटौती कर सकेगी।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के साथ शिक्षण एवं अनुसंधान के कार्य में सहयोग हेतु व्यवस्था करना वैध होगा।

(3) इस अधिनियम में दिए गए प्रावधान के सिवाय, किसी संबद्ध महाविद्यालय का प्रबंधन महाविद्यालय के कार्यों का प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसके रखरखाव और देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा, और इसका प्रधानाचार्य अपने छात्रों के अनुशासन और अपने कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य विवरण प्रस्तुत करेगा, जो कार्य परिषद या कुलपति मांगे।

(5) कार्य परिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का समय-समय पर जो पाँच वर्ष से अधिक न हो अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को दी जायेगी।

(6) कार्य परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए।

(7) किसी महाविद्यालय के संबद्धता के विशेषाधिकार, जो उपधारा (6) के अधीन कार्य परिषद के किसी निर्देश का पालन करने में या संबद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, महाविद्यालय के प्रबंधन से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, कार्य परिषद द्वारा परिनियमावली के उपबंधों के अनुसार वापस लिए जा सकेंगे या उनमें कटौती की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधन सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति प्रबंधन और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकता है या उनमें कटौती कर सकता है।

संघटक
महाविद्यालय

33—(1) संघटक महाविद्यालय वे होंगे जिन्हें परिनियमावली द्वारा नामित किया जाएगा तथा उनका अनुरक्षण विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) किसी संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य का महाविद्यालय के कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो विहित की जाएं।

स्वशासी
महाविद्यालय

34—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय, किसी संबद्ध महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में, जो इस संबंध में विहित शर्तों को पूरा करता हो, विहित रीति से, महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने तथा इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित करने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा।

अध्याय—आठ

अध्यापक और अधिकारियों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारीवृंद की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

अध्यापकों की
नियुक्ति

35—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर इसमें आगे दिए गए तरीके से की जायेगी। चयन समिति अध्यापकों की भर्ती/नियुक्ति के लिए जितनी बार आवश्यक हो, और अध्यापकों की सेवानिवृत्ति से पहले बैठक करेगी:

परन्तु यह कि अध्यापकों की भर्ती/नियुक्ति करते समय सरकार की आरक्षण नीति का विधिवत पालन किया जाएगा।

(2) ऐसे प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति नहीं है, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परीक्षा पर होगी, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के मामले में परीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश, कुलपति और (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) संबंधित विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कार्य परिषद् द्वारा जारी आदेश के अलावा पारित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश संबंधित अध्यापक को नोटिस दिए जाने के अलावा पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे उन आधारों के संबंध में स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया हो जिन पर उसकी सेवाएं समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है:

परन्तु यह भी कि यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा अवधि, जैसी भी स्थिति हो, की समाप्ति से पहले नोटिस दिया जाता है, तो परीक्षा अवधि कार्य परिषद् के अंतिम आदेश तक या कुलपति का अनुमोदन संबंधित अध्यापक को संसूचित किए जाने तक बढ़ाई गई मानी जाएगी।

(3) आचार्य के अलावा विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यापक को अवकाश देने के कारण हुई रिक्ति में स्थानापन्न नियुक्ति की आवश्यकता की स्थिति में, प्रक्रियाएं ऐसी हो सकती हैं जो अध्यादेशों या परिनियमावली में निर्धारित की जा सकती हैं।

(4) विश्वविद्यालय की किसी अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में शामिल होंगे—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित विभागाध्यक्ष:

परन्तु यह कि विभागाध्यक्ष चयन समिति में नहीं बैठेगा, जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो या जब संबंधित पद उसके मूल पद से उच्चतर रैंक का हो और उस स्थिति में उसका पद विभाग के आचार्य द्वारा भरा जाएगा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा;

(तीन) आचार्य या सह आचार्य के मामले में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य मामले में कुलाधिपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ;

(चार) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक प्रतिनिधि।

(5) (क) अध्ययन के प्रत्येक विषय में छह या अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल कुलाधिपति द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों या उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर ऐसे शैक्षणिक निकायों या शोध संस्थानों के समतुल्य संकाय से परामर्श करने के पश्चात तैयार किया जाएगा, जिन्हें कुलाधिपति आवश्यक समझें। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामित प्रत्येक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में अंकित है;

(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड अध्ययन के प्रत्येक विषय में दस या अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगा और उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होगा जिसका नाम पैनल में अंकित है;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात संशोधित किया जाएगा;

(घ) जैसा भी मामला हो, कुलाधिपति या कुलपति, एक विनिर्दिष्ट क्रम में, चयन समिति में अपने नामांकित व्यक्तियों के रूप में सेवा करने के लिए उपधारा (4) के तहत आवश्यक विशेषज्ञों की तुलना में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के नामों की सूचना देंगे। ऐसे मामले में, जहां कोई भी व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिखाई देता है, चयन समिति की बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, तो, जिस व्यक्ति का नाम विनिर्दिष्ट क्रम में निकटतम नीचे दिखाई देता है, उसे समिति में सेवा देने का अनुरोध किया जाएगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि विशेषज्ञों में से कोई एक ऐसे चयन के लिए सहमत न हो जाए।

(7) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी किसी समिति की गणपूर्ति होगी:

परन्तु यह कि आचार्य या सह-आचार्य के मामले में, गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए।

(8) चयन समिति को प्रत्येक पद के लिए एक या अधिक किन्तु अधिकतम तीन नामों की सिफारिश करने की स्वतंत्रता होगी।

(9)(क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति के मामले में, यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत नहीं है, तो कार्य परिषद ऐसी असहमति के कारणों के साथ मामले को कुलाधिपति को भेजेगी और उसका निर्णय अंतिम और मान्य होगा:

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद चयन समिति की बैठक की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर चयन समिति की सिफारिशों पर निर्णय नहीं लेती है, तो भी मामला कुलाधिपति को संदर्भित माना जाएगा, और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(ख) जहां खंड (क) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्णय लेने में कार्य परिषद की विफलता कार्य परिषद की किसी गलती के कारण नहीं है, वहां कुलाधिपति कार्य परिषद से ऐसे समय के भीतर निर्णय लेने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा कि कुलाधिपति समय-समय पर अनुज्ञात करे, और कुलपति को उस प्रयोजन के लिए कार्य परिषद की बैठक बुलाने का निर्देश दे सकेगा:

परन्तु यह कि—

(एक) यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो कार्य परिषद मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को भेजेगी और उसका निर्णय अंतिम होगा;

(दो) यदि कार्य परिषद कुलाधिपति द्वारा दिए गए समय के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो कुलाधिपति मामले का निर्णय करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(10) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेने के हित के आधार पर निरर्हता तथा ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य मामलों को परिनियमावली द्वारा विहित किया जाएगा।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए कोई चयन, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन वाले दो समाचार-पत्रों के कम से कम तीन अंकों में रिक्ति का विज्ञापन दिए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।

(12) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से किसी भी सरकारी कर्मचारी को अध्यापक के पद पर नियुक्त कर सकेगी, जिसके पास उस पद के लिए विहित अपेक्षित न्यूनतम योग्यताएं हों। ऐसे नियुक्त अध्यापकों की उपलब्धियां और भत्ते राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में तय किए जाएंगे।

अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	36—इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, पद के अनुरूप वेतनमान में सेवारत वन सेवा और उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से सह-आचार्य और/या आचार्य के स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति कर सकती है, जिसके उपबंध और प्रक्रियाएं परिनियमावली और अध्यादेशों में निर्धारित की जाएगी।
विभिन्न अध्यापकों के लिए वेतनमान	37—विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों (आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य) के लिए वेतनमान राज्य सरकार द्वारा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में निर्धारित प्रचलित वेतनमान के अनुसार होगा।
विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा	38—(1) जब तक कि परिनियमावली द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, विश्वविद्यालय के किसी वेतनभोगी अधिकारी और शिक्षक की नियुक्ति लिखित अनुबंध के अधीन ही की जाएगी, जो इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों के अनुरूप होगा। (2) मूल अनुबंध रजिस्ट्रार के पास जमा किया जाएगा तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित अध्यापक अधिकारी को दी जाएगी। (3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएं, इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबंधों से किसी असंगति की सीमा तक, उक्त उपबंधों द्वारा उपांतरित समझी जाएंगी।
पेंशन, भविष्य निधि आदि	39—विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा, जैसा कि वह ठीक समझे, जिसमें एक निधि भी शामिल होगी, जिससे ऐसे अध्यापकों या उनके उत्तराधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के संचालन के संबंध में प्रावधान) अधिनियम, 1965 के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उनकी विकलांगता, चोट या मृत्यु की स्थिति में पेंशन या ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
अध्यापकों के लिए अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिकीय कार्य की सीमायें	40—(1) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी अन्य द्वारा आयोजित परीक्षा के संबंध में निष्पादित किसी कर्तव्य के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं। (2) कोई अध्यापक अध्यापन संबंधी कर्तव्य या किन्हीं परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा। स्पष्टीकरण— शब्द पारिश्रमिकीय पदों में किसी छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक के पद सम्मिलित हैं।
माध्यस्थतम अधिकरण	41—(1) धारा 38 में निर्दिष्ट नियुक्ति संविदा से उत्पन्न कोई विवाद माध्यस्थतम अधिकरण को भेजा जाएगा, जिसमें कार्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामित एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य (जो संयोजक के रूप में कार्य करेगा) शामिल होंगे। (2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो संबंधित समुचित व्यक्ति या निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशित करेगा और अधिकरण के समक्ष कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस प्रक्रम पर रिक्ति भरी गई है। (3) अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। (4) माध्यस्थतम अधिकरण को यह शक्ति होगी— (क) अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करना; (ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक की बहाली का आदेश देना; और (ग) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को वेतन प्रदान करना, ऐसी आय में से कटौती करने के पश्चात जो अधिकारी या अध्यापक ने अपने निलंबन, निष्कासन, बर्खास्तगी या सेवा से समाप्ति के दौरान अन्यथा प्राप्त की हो। (5) किसी भी मामले के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी जिसे उपधारा (1) के तहत माध्यस्थतम अधिकरण को भेजा जाना अपेक्षित है: परंतु यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक निर्णय प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले निम्नतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

42—(1) विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति, संविधि में विहित अनुसार भर्ती बोर्ड या पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

शिक्षणोत्तर
कर्मचारिवृंद की
सेवा शर्तें

(2) प्रत्येक श्रेणी के पदों की सेवा संख्या ऐसी होगी जो कार्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाए और समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए।

(3) आयु और सेवा अवधि या अनुभव का निर्धारण उस भर्ती वर्ष की पहली जुलाई के आधार पर किया जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई से प्रारंभ होगा।

(4) विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए आयु, न्यूनतम योग्यता, अनुभव, आरक्षण और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) विभिन्न स्तरों पर गैर-शिक्षण पदों के लिए वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित वेतनमान के अनुसार होगा, तथा उसके उपरांत के संशोधन के अनुसार होगा।

(6) विश्वविद्यालय के रखरखाव, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए विशिष्ट सहायक सेवाओं की आवश्यकता के आधार पर, कार्य परिषद सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों से सेवाएं लेने के लिए खुली होगी।

अध्याय—नौ प्रवेश और परीक्षा

43—(1) कोई भी छात्र डिग्री के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि —

छात्रों एवं
अंतर्राष्ट्रीय छात्रों
का प्रवेश

(क) वह पास हो गया है —

(एक) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा; या

(दो) किसी अन्य विश्वविद्यालय की कोई परीक्षा या दी गयी डिग्री जो विश्वविद्यालय द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय की डिग्री के समतुल्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा या डिग्री हो; और

(ख) उसके पास ऐसी अतिरिक्त योग्यताएं, यदि कोई हों, हैं, जो अध्यादेशों या परिनियमों में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) जिन शर्तों के अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा, वे अध्यादेशों और परिनियमावली द्वारा विहित की जाएंगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी डिग्री के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री या किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा को अपनी डिग्री के समतुल्य मान्यता देने की शक्ति होगी।

(4) किसी भी छात्र को, जिसका कार्य या आचरण असंतोषजनक हो, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय से हटाया जा सकता है।

(5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय को वैश्विक अध्ययन स्थलों में से एक के रूप में बढ़ावा देने के लिए, और संपर्क और सहयोग के माध्यम से इसके और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच पारस्परिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने के लिए खुला होगा और साथ ही अपने छात्रों और संकायों को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश के सहयोगी संस्थान में सीखने का हिस्सा बनाने में सक्षम बनाएगा।

44—(1) विश्वविद्यालय के हॉल और छात्रावास —

विश्वविद्यालय के
हॉल, छात्रावास
तथा डेलीग्रेसी
केन्द्र

(क) वे जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हैं तथा परिनियमों में नामित हैं;

(ख) इनका रखरखाव विश्वविद्यालय के कार्य परिषद द्वारा ऐसे सामान्य या विशेष शर्तों पर किया जाएगा, जैसा अध्यादेशों या परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए।

(2) हॉल और छात्रावासों के वार्डन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यादेशों या परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

(3) कार्य परिषद को किसी हॉल या छात्रावास की मान्यता निलंबित करने या वापस लेने की शक्ति होगी, जिसका रखरखाव उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता है:

परन्तु ऐसे हॉल या छात्रावास के प्रबन्धन को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) विश्वविद्यालय के उन छात्रों के निवास, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए एक प्रतिनिधिमंडल होगा जो किसी घटक महाविद्यालय या हॉल में या उसकी देखरेख में नहीं रहते हैं। प्रतिनिधिमंडल का गठन, शक्ति और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

45—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्था का निर्देश देगी।

परीक्षाएं

अध्याय—दस

परिनियम, अधिनियम और विनियम

परिनियम

46—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध करेंगे:—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के सदस्यों या प्राधिकरणों का चयन, नियुक्ति तथा पदावधि, जिसके अंतर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बने रहना, तथा उनकी सदस्यता में रिकित्तियों को भरना, तथा इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय हैं जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
- (घ) विश्वविद्यालय और संबद्ध एवं सहबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य शिक्षकों का वर्गीकरण और भर्ती (न्यूनतम योग्यताएं और अनुभव सहित), उनके द्वारा अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखरखाव, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियम और उनके पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों सहित);
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य गैर शिक्षण पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (न्यूनतम योग्यताएं और अनुभव सहित) तथा उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों सहित);
- (च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन या बीमा योजना की स्थापना;
- (छ) डिग्री और डिप्लोमा की संस्था;
- (ज) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;
- (झ) डिग्री और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना;
- (ञ) संकायों की स्थापना, एकीकरण, उन्मूलन और पुनर्गठन;
- (ट) संकायों में शिक्षण विभाग की स्थापना;
- (ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हॉलों और छात्रावासों की स्थापना, उन्मूलन और पुनर्गठन;
- (ड) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वेतनभोगी कर्मचारियों (जो शिक्षक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम योग्यता, अनुभव, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंध भी हैं, तथा उनकी सेवा का अभिलेख तैयार करना और उसका रखरखाव करना;
- (ढ) छात्रवृत्ति, फ़ैलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की स्थापना;
- (ण) स्नातकों की अर्हताएं, शर्तें और पंजीकरण की रीति तथा पंजीकृत स्नातकों का रजिस्टर रखना;
- (त) यदि कोई हो तो दीक्षांत समारोह का आयोजन; और
- (थ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकता है।

परिनियमावली कैसे बनायी जायेगी

47—(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनायी जाएगी।

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, प्रथम परिनियमावली को किसी भी समय परिवर्धन, प्रतिस्थापन या क्रियान्वयन द्वारा संशोधित कर सकेगी और ऐसा कोई भी संशोधन ऐसे दिनांक से भूतलक्षी हो सकता है जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व का न हो।

(3) इसके पश्चात् कार्य परिषद् नये या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकेगी अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

(4) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की स्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियमावली का प्रारूप तब तक प्रस्तावित नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गई कोई भी राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियम में कोई परिवर्धन या परिनियम का कोई संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति रोक सकेगा या उसे आगे विचार के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई भी परिनियम उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिन कुलाधिपति उसे अनुमति प्रदान करेगा या ऐसी बाद के दिनांक से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(7) पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विद्या, अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारियों के हित में अपने द्वारा लिए गए किसी विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किसी सुझाव या सिफारिश के आधार पर कार्य परिषद् द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट नए या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने या उन्हें संशोधित या निरसित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय ले सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहती है तो राज्य सरकार कुलाधिपति की अनुमति से नए या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली को संशोधित या निरसित कर सकेगी।

(8) कार्य परिषद् को उपधारा (7) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या परिनियमों से असंगत नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

48—(1) इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबंधों के अध्यादेश रहते हुए अध्यादेश, विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगा। अध्यादेश

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेश निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध करेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन और उसी रूप में बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले छात्रों की संख्या और अध्ययन के पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की डिग्री और डिप्लोमा की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे ऐसी डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्ति, फेलोशिप, छात्रवृत्ति, बर्सरी, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हॉलों और छात्रावासों का प्रबंधन;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किए जाने वाले हॉलों और छात्रावासों की मान्यता और प्रबंधन;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना तथा अनुशासन भंग करने अथवा नए छात्रों के साथ उनके वरिष्ठों द्वारा हिंसक या अभद्र रैगिंग करने पर निलंबन, निष्कासन या प्रतिबंध सहित दंड देना;

(ज) पत्राचार और निजी अभ्यर्थियों से संबंधित सभी मामले;

(झ) अध्यापकों के अलावा विश्वविद्यालय के वेतनभोगी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सहित योग्यताओं, उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों की संख्या तथा उनकी सेवा के अभिलेखों की तैयारी और रखरखाव;

(ञ) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या सहबद्ध महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ट) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, मॉडरेटर्स, निरीक्षकों और सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और पद्धति तथा उनके कर्तव्य;

(ठ) परीक्षाओं का संचालन;

(ड) विश्वविद्यालय के कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनके अंतर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ढ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकता है।

49—(1) अधिनियम कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे और कुलाधिपति के अनुमोदन के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अध्यादेश कैसे बनाए जायेंगे

(2) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अधिनियम बना सकेगी:

परन्तु यह कि कोई अधिनियम नहीं बनाया जायेंगे:-

(क) छात्रों के प्रवेश को प्रभावित करने वाली, या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्राप्त करने वाली परीक्षाएं या विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धारा 43 की उपधारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त अर्हताएं निर्धारित करने वाली, जब तक कि उसका प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न कर दिया गया हो; या

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों और पद्धति तथा कर्तव्यों को तथा परीक्षाओं या किसी अध्ययन पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाली कोई बात, सिवाय इसके कि वह संबंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के अनुसार हो और जब तक कि ऐसे अधिनियम का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न कर दिया गया हो; या

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हता और पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय को प्रभावित करने वाली कोई बात, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद को उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे कार्य परिषद द्वारा सुझाए गए किसी संशोधन सहित पूर्णतः या भागतः विद्या परिषद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगी।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाए गए सभी अधिनियम उस तारीख से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्दिष्ट करे और उन्हें यथाशीघ्र कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कुलाधिपति किसी भी समय कार्य परिषद् को उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न ऐसे अध्यादेशों की अपनी अस्वीकृति से अवगत करा सकेगा और कार्य परिषद् द्वारा ऐसी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अधिनियम शून्य हो जाएंगे।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के अलावा किसी अन्य अधिनियम का संचालन तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अपनी अस्वीकृति की शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिल जाए। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक माह की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियमन

50—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय का एक प्राधिकरण या अन्य निकाय अपने कार्यों और समितियों के संचालन के लिए विनियम बना सकेगा—

(क) अपनी बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और बैठकों की संख्या निर्धारित करना और कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है; और

(ग) ऐसे किसी अन्य विषय के लिए उपबंध करना जो केवल ऐसे प्राधिकरण या निकाय से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाए गए विनियमों में उसके सदस्यों को बैठकों की तारीखों और उनमें किए जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने का उपबंध होगा।

(3) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय को निर्देश दे सकेगी कि वह निर्देश में विनिर्दिष्ट प्रारूप में किसी विनियमन को रद्द करे या संशोधित करे, तो ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाया गया कोई विनियमन तदनुसार उस विनियमन को रद्द या संशोधित करेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या अन्य निकाय, यदि ऐसे किसी निर्देश से असंतुष्ट हो, तो कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जो कार्य परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(4) विद्या परिषद् अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का उपबंध करने वाले विनियम तभी बना सकेगी जब संबंधित संकाय बोर्ड ने उसका प्रारूप प्रस्तावित कर दिया हो।

(5) विद्या परिषद को उपधारा (4) के अधीन संकाय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अपने सुझाव के साथ आगे विचार करने के लिए बोर्ड को वापस कर सकेगी।

अध्याय—ग्यारह वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

51—विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देशन में तैयार की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट
लेखा तथा संपरीक्षा

52—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन—पत्र कार्य परिषद के निर्देशन में तैयार किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय को या उसके द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां तथा वितरित या भुगतान की गई सभी रकमें विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए लेखों में दर्ज की जाएंगी।

(2) वार्षिक लेखाओं और तुलन—पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो उनकी लेखापरीक्षा कराएगी।

(3) वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षित तुलन—पत्र मुद्रित किए जाएंगे और उनकी प्रतियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ कार्य परिषद द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

(4) (एक) कार्य परिषद आगामी वर्ष के लिए बजट भी विहित तिथि से पूर्व तैयार करेगी।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को संदाय विश्वविद्यालय की निधि (दो) सरकार, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष ऐसी धनराशि का आवंटन, ऐसी रीति से करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय। (तीन) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(क) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(ख) समस्त स्रोतों से, जिनमें सम्बद्धता फीस और प्रभारी से आय सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालय की आय;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृतियों, वसीयतों या विन्यासों और अन्य अनुदानों, यदि कोई हो, के माध्यम से प्राप्त धनराशियां;

(घ) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, अध्येतावृत्तियों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए, विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियां; तथा

(ङ) किसी अन्य रीति से या किन्हीं अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशि;

(चार) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग, इस अधिनियम द्वारा या तदधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिए किया जायेगा।

(5) विहित राशि से अधिक नए व्यय की प्रत्येक मद, जिसे बजट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को भेजी जाएगी, जो उस पर सिफारिशें कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद वित्त समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी।

(7) कुलपति या कार्य परिषद के लिए कोई व्यय करना वैध नहीं होगा:—

(क) या तो बजट में स्वीकृत नहीं है, या विश्वविद्यालय को राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा दी गई निधियों के मामले में, बजट की मंजूरी के बाद ऐसे अनुदान की शर्तों के अनुसार ही;

परन्तु यह कि धारा 11 की उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, आग, बाढ़, अत्यधिक वर्षा या अन्य अचानक या अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में, बजट में स्वीकृत न किए गए पाँच लाख रुपए से अधिक अनावर्ती व्यय कर सकेगा और वह ऐसे समस्त व्यय के संबंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित करेगा;

(ख) कुलाधिपति या राज्य सरकार के किसी आदेश के विरोध में किसी मुकदमे पर, जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन पारित किया जाना प्रकल्पित हो।

53—(1) धारा 8 के खंड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग पर अधिभार लगाने के लिए दायी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग उसकी उपेक्षा या कदाचार का प्रत्यक्ष परिणाम है।

(2) अधिभार की प्रक्रिया तथा ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अन्तर्वलित रकम की वसूली का तरीका ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाए।

अधिभार

अध्याय—बारह

विविध

प्राधिकरणों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति की रीति

54— (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का चुनाव, जहां तक हो सके, चुनाव से भिन्न तरीकों से किया जाएगा।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में वरिष्ठता या अन्य योग्यताओं के अनुसार किसी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, वहां वरिष्ठता और अन्य योग्यताओं के निर्धारण का तरीका वैसा ही होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(3) जहां इस अधिनियम में किसी निर्वाचन का उपबंध किया गया है, वहां ऐसा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जाएगा और जहां परिनियमों में किसी निर्वाचन का उपबंध किया गया है, वहां वह उस रीति से आयोजित किया जाएगा जैसा कि परिनियमों में उपबंध किया गया हो।

(4) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के लिए निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

55— (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों में कोई आकस्मिक रिक्ति उसी रीति से भरी जाएगी जिस रीति से वह सदस्य चुना गया था, जिसकी रिक्ति भरी जानी है; और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

(2) कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है अथवा किसी अन्य निकाय का प्रतिनिधि है, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहर का, वह ऐसे प्राधिकरण में तब तक अपना स्थान बनाए रखेगा जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहेगा।

रिक्तियों के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

56— किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि हो; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिये हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन/चयन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि हो; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता हो जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

57— कार्य परिषद उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया है या इस आधार पर कि वह निंदनीय आचरण का दोषी है या उसने विश्वविद्यालय के सदस्य के अनुरूप आचरण नहीं किया है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी।

कुलाधिपति को सन्दर्भ

58— यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अनुरूप है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं किया जाएगा—

(क) उस तारीख से तीन माह से अधिक समय पश्चात् जब प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा:

यह भी प्रावधान है कि कुलाधिपति असाधारण परिस्थितियों में—

(i) पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा से कार्य करें या किसी सदर्थ पर विचार करें;

(ii) जहां निर्दिष्ट मामला निर्वाचन के बारे में विवाद से संबंधित है, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता पर संदेह है, वहां ऐसे स्थगन आदेश पारित कर सकेगा, जिन्हें वह न्यायसंगत और समीचीन समझे।

59—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प की प्रतिलिपि या विश्वविद्यालय के कब्जे में मौजूद अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् बनाए गए किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है तो उसे रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व के ऐसे रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा और उसमें दर्ज मामलों और लेन-देन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जहां उसकी मूल प्रति, यदि प्रस्तुत की जाती तो साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय का अभिलेख सिद्ध करने की रीति

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसकी विषय-वस्तु उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित की जा सकती है या उसे साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जो इसमें दर्ज मामले और लेन-देन, जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय द्वारा आदेश न दिया गया हो साबित कर सके।

60— विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने का तात्पर्य रखते हों, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

61— अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अनुसरण में की गई या प्रकल्पित या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी या प्राधिकरण या निकाय के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

वाद का वर्जन

अध्याय—तेरह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

62— (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित किया जाएगा।

प्राधिकरण का गठन

(2) जब तक विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण गठित नहीं हो जाता है, तब तक राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद् से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोग योग्य या निर्वहन योग्य शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जाएगा।

63—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जैसा कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से उसकी अवधि समाप्त होने के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या जिसे दूर किया जाना अपेक्षित था।

64—(1) उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2026) और उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2026) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

निरसन और व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सम सारवान समय में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में वनों और वन्यजीवों का संरक्षण, वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि करना और औद्यानिकी क्षेत्र में प्रगति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। वर्तमान में, राज्य में कोई वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय नहीं है। वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से न केवल वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वृक्षारोपण और औद्यानिकी के क्षेत्र में प्रगति होगी, बल्कि कृषि एवं पर्यावरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और छात्रों को वानिकी और औद्यानिकी में आधुनिक ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त होगा साथ ही आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेंगे।

उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य में गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय लोगों, कृषकों आदि के मध्य वानिकी विज्ञान, वन्यजीव, जलवायु परिवर्तन, औद्यानिकी और इससे सहबद्ध शाखाओं के ज्ञान को प्रसारित करने और अभिवृद्धि के उद्देश्य से, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में "उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय" के नाम से राज्य में एक वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा 13 मई, 2026 को उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 249 (2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-10-2026

Dated Lucknow, August 17, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vaniki Aur Audhyaniki Vishwavidyalay Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 2026. The Paryavaran, Van Evam Jalvayu Parivartan Anubhag-4 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FORESTRY AND HORTICULTURE UNIVERSITY

ACT, 2026

(U.P. ACT NO. 25 OF 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the establishment of a State Forestry and Horticulture University at Gorakhpur in Uttar Pradesh by the name of 'The Uttar Pradesh Forestry and Horticulture University' and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title,
extent and
commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Forestry and Horticulture University Act, 2026.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 13th day of May, 2026.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions

- (1) 'Academic Council' and 'Executive Council' means the Academic Council and the Executive Council of the University respectively;
- (2) 'Affiliated College' means a college affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes made thereunder;
- (3) 'Dean of Faculty' means Head of the Subject/ Faculty who is also the Chairperson of the Board of Faculty;
- (4) 'Dean Student Welfare' means the Dean of Student Welfare, counselling and student placement;
- (5) 'Director' means the Director of Education and Director of Research and Extension;
- (6) 'Faculty' means a teaching faculty of the University;
- (7) 'Forestry' means and includes basic and applied sciences concerning silviculture, plant breeding, farm forestry conservation of ecology of the biosphere, wildlife, sericulture, medicinal and aromatic plants and their products;
- (8) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
- (9) 'Hall' of a University means a unit for students maintained or recognized by the University at which, provision is made for imparting tutorial and other supplementary instruction;
- (10) 'Horticulture' means the basic and applied sciences of fruits, vegetables, floriculture, plantation crops, spices, hops and shall include mushroom growing, landscaping, bee-keeping, marketing and processing of horticultural produce;
- (11) 'Hostel' of a University means a unit of residence for students maintained or recognized by the University, other than a hall;
- (12) 'Institute' means an Institute established by the University;
- (13) 'Other backward classes of citizens' means the same as referred to in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;
- (14) 'Pay Scale' means the pay scale adopted currently by the State Government;
- (15) 'Prescribed' means prescribed by Statutes;
- (16) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh;
- (17) 'Statutes', 'Ordinances' and 'Regulations' means the Statutes, Ordinances and Regulations of the University respectively;
- (18) 'Teacher of the University' means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed by the University for imparting instruction and guiding or conducting research in the University or in an Institute maintained by the University or in a constituent, affiliated or associated college and includes a Principal;
- (19) 'University' means University established after the commencement of this Act under section 3;
- (20) 'UGC' means University Grants Commission.

CHAPTER-II THE UNIVERSITY

3. (1) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council and the Academic Council, for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the 'Uttar Pradesh Vaniki evam Audyaniki Vishwavidyalay.'

Incorporation of
the University

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal, and shall *sue* and be *sued* by the said name.

University open
to all classes and
creed

4. (1) The University shall be open to all persons irrespective of class or creed or sex, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances or Statutes or Regulations:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) The teaching and research in connection with the degree, diploma and certificate programmes of the University shall be conducted in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations.

(3) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be such as may be laid down by the Ordinances or Statutes or Regulations.

Objects of the
University

5. The objects of the University shall be,—

(a) to ensure organised and qualitative education and to disseminate and advance knowledge in forestry, horticulture and other related subjects;

(b) to facilitate research and development in forestry, horticulture and other related subjects;

(c) to develop various modules to suit the training requirements of different bio-geographic regions of the State in the field of forestry, horticulture and related subjects;

(d) to ensure conservation and sustainable utilization of forest and plant bio-diversity through various educational and research programmes;

(e) to develop entrepreneurship and provide consultancy services for planning and evaluation of different types of projects in the area of forestry, horticulture and related subjects.

Powers and duties
of the University

6. The University shall have the following powers and duties namely :-

(i) to serve as a 'Centre of Excellence' in providing education in the branches of forestry and horticulture and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge in those branches and manage the accreditation thereof;

(ii) to admit any college to the privileges of affiliation of recognition or to withdraw or curtail any such privilege and guide and control the work of affiliated and associated colleges;

(iii) to confer degrees, diplomas and other academic distinctions;

(iv) to hold examinations for, and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons who,—

(a) have pursued a course of study in the University; or

(b) have carried on research in the University or in an institution recognized in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances; or

(c) have pursued a course of study by correspondence whether residing within the area of the University or not, and have been registered by the University, subject to such conditions as may be laid down in the Statutes and Ordinances as external candidates; or

(d) are teachers or other employees in the University or in an institute in other educational institutions under conditions laid down in the Statutes and the Ordinance or are inspecting officers permanently employed in the Department of Education of the State Government and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances;

(v) to hold examinations for and to grant the degree of Bachelor of Science in Forestry and Horticulture, Master of Science in Forestry and Horticulture, diploma in Forestry and Horticulture, Doctorate in subjects of Forestry and Horticulture to persons who are students of the University pursuing different courses;

(vi) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes;

(vii) to provide such lectures and instructions for persons not being students of the University as the University may determine;

(viii) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;

(ix) to institute and award scholarship, fellowship, stipend, medals, prizes and to undertake other student welfare activities;

(x) to recognize for the purposes of admissions to a course of study for a degree, as equivalent to its own degree, any degree conferred by another University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or any equivalent examination conducted by any other University or Authority;

(xi) to establish, maintain and administer institutes of research, laboratories, libraries and other things necessary to carry out the objects of the University;

(xii) to create teaching, administrative, ministerial, technical, non-teaching and other necessary posts required by the University and to make appointments thereto;

(xiii) to lay down the conditions of affiliation or recognition of colleges and to satisfy itself by periodical inspection and otherwise that those conditions are satisfied;

(xiv) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for students of the University;

(xv) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Ordinances or Statutes or Regulations;

(xvi) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health;

(xvii) to do all such acts and carry out such functions, whether incidental to the aforesaid powers or not, as may be requisite in order to further the objects of the University.

(xviii) to provide training for farmers, field officers and staffs of the Forest Department in the field of Forestry, Horticulture, Agroforestry and other advance skills as may be laid down by the University.

CHAPTER-III INSPECTION AND INQUIRY

Visitation and
inquiry

7. (1) The State Government shall have the power to cause the University, including its buildings, laboratories, workshops and equipment and the Institutions/Affiliated Colleges/Affiliated Colleges maintained by the University or to cause the examinations, teaching and all other work performed therein, to be inspected by such person or persons as it may direct or to cause such inquiry to be conducted in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1) it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection of inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such:

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the Government may after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(6) The State Government shall send to the Chancellor, a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (4) and of every direction issued under sub-section (5) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.

(7) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, or the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause as to why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.

CHAPTER-IV OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Officers of the
University

8. The following shall be the officers of the University :-

- (a) the Chancellor;
- (b) the (l) such other officers Vice-Chancellor;
- (c) the Pro Vice-Chancellor;
- (d) the Director, Education;
- (e) the Director, Research and Extension;
- (f) the Registrar;
- (g) the Finance Comptroller;
- (h) the Controller of Examinations;
- (i) the Dean of Students' Welfare;
- (j) the Deans of Faculties;
- (k) the Estate Officer;

(l) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

9. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall by virtue of his office, be the Head of the University and shall, when present, preside at any convocation of the University. The Chancellor

(2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by this Act or under the Statutes.

10.(1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the panel of names recommended to him by the Search-cum-Selection Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (3). The Vice-Chancellor

(2) (a) The Vice Chancellor shall be nominated for selection from among the following:-

(i) Indian Forest Service Officers who have served for a minimum period of 25 years and have worked or have been working in pay scale of the Additional Principal Chief Conservator of Forests or above and shall not have attained the age of 65 years; or

(ii) Indian Administrative Service Officers who have served for a minimum period of 25 years and have worked or have been working in pay scale of the Principal Secretary or above and shall not have attained the age of 65 years; or

(iii) eminent educationists or scientists having Doctorate degree in the field of Forestry or Horticulture with a minimum of 10 years of service experiences in teaching and research in the rank of Professor or equivalent from research or extension system of State or Central Universities or other similarly placed institutions, and who have not attained the age of 65 years:

Provided that the guidelines of the University Grants Commission must be fulfilled.

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years, whichever is earlier;

(c) The Vice-Chancellor, who has not attained the age of 65 years may be appointed as such for second term:

Provided that the Vice-Chancellor may, by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee consisting of:-

(a) the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh;

(b) the Agricultural Production Commissioner, Government of Uttar Pradesh;

(c) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Forests and Wildlife;

(d) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Horticulture and Food Processing;

(e) two eminent experts, one each from the field of Forestry and Horticulture not below the rank of Dean either serving or retired from State Government Universities or State Government Research Institutes to be nominated by the Chancellor.

(4) The Committee shall, as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under clauses (b) and (c) of sub-section (2) and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five eligible persons to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualification of each of the persons so recommended but shall not indicate any order of preference.

(5) Where the Chancellor does not consider any one or more persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he/she may require the committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (4).

(6) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(7) In the event of a temporary vacancy of the post of Vice-Chancellor or in his absence of leave or for any other reason, the Director of Education or the Director of Research and Extension or in their absence, the Registrar with the approval of the Chancellor may perform the duties of the Vice-Chancellor, but his period shall not exceed six months:

Provided that the Chancellor may, from time to time, extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section, so however that the total term of such appointment does not exceed one year.

(8) Until a Vice Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (9) assumes office, the Pro Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro Vice-Chancellor, the seniormost Professor of the University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

(9) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(10) During the pendency, or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (11), the Chancellor may order that till further orders,—

such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (6);

the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the orders.

11.(1) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and shall,—

Powers and duties
of the Vice-
Chancellor

(a) be responsible for the proper administration of the affairs of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and education;

(b) exercise general supervision and control over the affairs of the University including the constituent colleges and the institutes maintained by the University and its affiliated and associated colleges;

(c) give effect to decisions of the authorities of the University;

(d) in the absence of the Chancellor, preside at meetings and at any convocation of the University;

(e) be responsible for the maintenance of discipline in the University;

(f) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.

(2) The Vice-Chancellor shall be an *ex-officio* member and Chairperson of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.

(3) The Vice-Chancellor shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meetings of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, as the case may be, and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under sections 9 and 58 possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(6) Where any matter other than appointment is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter:

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provision of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if the officer, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, he or it may refer the matter to the Chancellor, who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and there upon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the orders of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council, within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under sub-section (6) involves the appointment of an officer or a teacher of the University, such appointment shall terminate on appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor whichever is earlier.

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

(10)(a) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. The directions of the Vice-Chancellor in that behalf shall be carried out by the Heads of Department and hostels;

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), the punishment of debaring a student from an examination or rustication from the University shall, on the report of the Vice-Chancellor, be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned the opportunity of being heard.

(11)(a) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the seniormost Professors of the University with the approval of the Executive Council for a maximum period of 3 years;

(b) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor;

(c) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor;

(d) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such other powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor;

(e) The Pro Vice-Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by or under this Act or the Statutes.

The Registrar

12. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to authenticate record on behalf of the University.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-Officio* Secretary of the Executive Council, the Academic Council and of every Selection Committee for appointment of teacher of the University and shall be bound to place before the authorities all such information as may be necessary for the transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with the order of the Government.

(5) Deputy Registrar(s) and Assistant Registrar(s) may be appointed to aid and assist the Registrar on the conditions prescribed under the Statutes, against the strength sanctioned by the Government.

13. (1) There shall be a Finance Controller for the University, who shall be appointed by the State Government by a notification published in the Official *Gazette* and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

The Finance
Controller

(2) The Finance Controller shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) The Finance Controller shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(4) The Finance Controller shall have the duty,—

(a) to ensure that no expenditure, not authorized in the budget, is incurred by the University;

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statute;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take step to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(5) The Finance Controller shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as to his opinion may be necessary for the discharge of duties.

(6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Controller on behalf of the University.

(7) Other powers and functions of the Finance Controller shall be such as may be prescribed.

(8) An Accounts Officer may be appointed to aid and assist the Finance Controller on the conditions prescribed under the Statutes, against the strength sanctioned by the Government.

14.(1) There shall be a Controller of Examinations for the University who shall be a whole-time officer of the University.

The Controller
of Examination

(2) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government and his remuneration and allowance shall be paid by the University.

(3) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examination Committee of the University and shall be responsible to place before such committee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

(4) The Controller of Examination shall have administrative control over the employees working under him and have, in this regard all the powers of the Registrar.

(5) Subject to the superintendence of the Examination Committee, the Controller of Examinations shall conduct the examinations and make all the arrangements thereto and be responsible for due execution of all processes connected therewith.

(6) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with the order of the State Government.

(7) Where the Controller of Examinations is, for any reasons, unable to Act or the office of Controller of Examination is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor until the Controller of Examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

(8) The Additional Controller of Examinations and the Deputy Controller of Examinations may be appointed to aid and assist the Controller of Examination on the conditions prescribed under the Statutes, against the strength sanctioned by the Government.

The Deans

15. (1) The Deans shall be appointed from among the Faculty of the University in such manner as may be prescribed.

(2) The Deans shall assist the Vice-Chancellor of the University in managing the Academic and other affairs of the University and shall exercise such powers and perform such functions and duties as may be prescribed or entrusted to them by the Vice-Chancellor.

(3) There shall be a Dean for each faculty, who shall be the senior most Professor of the faculty and shall hold office for such term as may be prescribed.

(4) There shall be a Dean of Students Welfare, who,—

(i) shall plan and direct the programme of students' advisement and counselling and to enlist the co-operation of prospective employers and employment agencies to assist in the placement of graduates of the University and to promote discipline amongst the students of the University;

(ii) shall plan and organize students' extra-curricular activities such as sports, cultural and other recreational activities, NCC, NSS and communication skill improvement and other allied activities;

(iii) shall make arrangements and supervise management of students' hostel, cafeteria and mess;

(iv) shall supervise and control medical and health services and other welfare measures in the University;

Estate Officer

16. There shall be an Estate Officer for the University, who shall be appointed by the State Government by a notification published in the Official *Gazette* and his remuneration and allowances shall be paid by the University. The Estate Officer shall be responsible for the custody, maintenance and management of all the buildings, roads, fencing, playgrounds, lawns, gardens and other properties of the University, procurement and disposal of immovable and movable property of the University and any other responsibilities as prescribed.

Director,
Education and
Director,
Research and
Extension

17. (1) The Director, Education and the Director, Research and Extension shall be appointed from among the Faculty of the University in such manner as may be prescribed.

(2) The Director of Education shall be responsible for planning and academic coordination for teaching, quality of education, policy matters and system regarding resident instruction, overseeing the examination and evaluation, development and enforcement of curricula, development of educational technology and teachers' training programme(s), Human Resource Development of faculty, training for skill upgradation of Government officials and employees.

(3) The Director of Research and Extension shall be responsible for the direction and coordination of research programmes in the University as laid down in Section 20 and efficient working of Research Stations and shall also be responsible for the Extension programmes as laid down in Section 21 of this Act.

(4) The Director of Research and Extension shall also be responsible to cause to publish Annual Reports, Research Highlights, Research bulletins, Circulars and articles in scientific journals which summarize research findings of the works carried out in the University in collaboration with the Deans of the Faculties.

(5) The Director, Research and Extension shall work in close consultation with the Deans of the Faculties and the Director of Education in formulating research policies and programmes of the University.

18. (1) The appointment and powers of Officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Dean, the Finance Controller, the Registrar and the Controller of Examinations, shall be such as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

Other Officers
and their Pay
Scale

(2) The pay scale for officers of the University including Deans, the Finance Controller, Registrar and the Controller of Examinations will be as per pay scale fixed in the Universities of the State by the State Government.

CHAPTER-V

EDUCATION, RESEARCH AND EXTENSION

19. (1) Subject to provisions of this Act, education in the University shall include Bachelor's, Master's and Doctoral degree programmes and short-term diploma/certificate courses in the disciplines of Forestry, Horticulture and Allied Sciences and Social Sciences as prescribed.

Education
Programmes

(2) The educational programmes would maintain congruence with the State and National policies.

(3) The University shall take initiatives for capacity building of teachers, e- learning, Information and Communication Technology - enabled knowledge sharing *etc.* and adequate infrastructure as per minimum prescribed requirement.

(4) Programmes of Forestry and Horticulture Education shall aim at producing competent and skilled Graduates and Post-Graduates.

(5) Programmes of Forestry and Horticulture Education shall also through short-term training aim at upgrading skills of Government officials and employees engaged in the field of Forestry, Horticulture and Biodiversity Conservation.

20. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the University shall carry on strategic, basic and applied research in Forestry, Horticulture and allied sciences and social sciences.

Research

(2) The University, through its research organization, shall be the principal agency of control over research activities in Forestry, Horticulture and other allied branches in its jurisdiction. The University, with the concurrence of the State Government, may establish Regional/ Zonal Research Stations and sub-stations in different agro-climatic zones in its territorial jurisdiction for the conduct of research including operational research.

21. (1) Extension programmes shall be established in the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, ensure technology assessment and refinement and facilitate adoption of technology based on research findings to farmers and others for accelerated growth in Agroforestry, Horticulture and wood-based production. These programmes shall include conduct of demonstrations and training programmes for the benefit of various stakeholders. Extension programmes shall be coordinated with various units of the University and other appropriate agencies of the Centre and the State.

Extension

- (2) The University shall be responsible for developing models of Forestry and Horticulture extension in the State.
- Integrating Teaching, Research and Extension and 22. (1) In consultation with the appropriate officers of the University, the Vice-Chancellor shall be responsible for taking such steps as may be necessary for the full integration of teaching, research and extension activities of the University.
- (2) Every faculty member borne on teaching cadre shall devote a part of his time in an academic year, as may be decided by the Executive Council, for undertaking research and extension apart from teaching.
- (3) Likewise every faculty member borne on research or extension shall spend a part of his time in an academic year as may be decided by the Executive Council, for teaching and doing research.
- (4) The University shall develop its programmes of research and extension keeping in view the regional needs of the State and provide the appropriate technological backstopping, to the Government and other stakeholders.

CHAPTER-VI

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

- Authorities of the University 23. The following shall be the authorities of the University:-
- (a) the Executive Council;
 - (b) the Academic Council;
 - (c) the Finance Committee;
 - (d) the Board of Faculties;
 - (e) the Selection Committees for appointment of teachers of the University;
 - (f) the Admissions Committee;
 - (g) the Examination Committee; and
 - (h) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.
- Constitution of Executive Council 24. (1) The Executive Council shall consist of :-
- (a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman thereof;
 - (b) the Additional Chief Secretary/Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Environment, Forest and Climate Change, or his/ her nominee not below the rank of Secretary;
 - (c) the Principal Chief Conservator of Forest/ Additional Principal Chief Conservator of Forests/ Chief Conservator of Forest from the Forest Department, Uttar Pradesh;
 - (d) the Secretary/Special Secretary of Department of Horticulture and Food Processing, Government of Uttar Pradesh;
 - (e) the Pro-Vice-Chancellor if any;
 - (f) the Finance Controller;
 - (g) the Registrar who shall be the Secretary thereof;
 - (h) the Dean of Faculties;
 - (i) the Dean of Students' Welfare;
 - (j) the Examination Controller;
 - (k) one Professor other than the Dean, one Associate Professor and one Lecturer of the University, to be selected in the manner prescribed.
- (2) The term of office of members of the Executive Council other than *ex-officio* members shall be three years.
- (3) A person shall be disqualified for being a member (other than an *ex-officio* member) as and for being a member of the Executive Council if he or his relative is in service of the University or its affiliated college or accepts any remuneration for any work in or for the University or accepts any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as Superintendent or Warden of any hall and hostel or for any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation— In this sub-section "relative" means the relations defined in clause (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and prescribed under rule 4 of the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 as amended from time to time.

(4) A member of the Executive Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude.

(5) A member other than a Vice-Chancellor, Professor or Dean shall also cease to be a member if he accepts a full-time appointment in the University, or if he not being an *ex-officio* member fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Chancellor.

(6) A member of the Executive Council other than *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect, as soon as it is accepted by the Vice-Chancellor.

(7) Any vacancy in the Executive Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.

25.(1) The Executive Council shall be the Principal Executive Body of the University, and subject to the provisions of this Act, have the following powers, and functions, namely:-

Powers and
Duties of
Executive
Council

- (i) to hold and control the property and funds of the University;
- (ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;
- (iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;
- (iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (v) to prepare the budget of the University;
- (vi) to award scholarships, fellowships, bursaries, medals and other awards in accordance with the Statutes and the Ordinances;
- (vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporary casual vacancies in their posts;
- (viii) to fix the fees, emoluments and traveling and other allowances of the examiners;
- (ix) to arrange for and direct the inspection of the University, affiliated, associated or constituent colleges, halls and hostels;
- (x) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (xi) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (xii) to manage and regulate the finance, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;
- (xiii) to arrange for the deposits and withdrawal of the funds of the University;

(xiv) to provide the buildings, premises, with furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xv) to enter into, to vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(xvi) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as constituent colleges and Institutes in accordance with the Ordinances and the Statutes;

(xvii) to periodically review the functioning of various academic departments and research centres to ensure they are functioning as per the aims and objects of the University and to give directions, as deemed necessary, for improvements.

(2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise, nor shall any money be borrowed or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government, or with the previous sanction of the State Government from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created either in the University or any Institute except with the prior approval of the State Government (or except in accordance with any general or special order of the State Government).

(4) The Executive Council may, with the prior approval of the University Grants Commission and State Government, create supernumerary post of a teacher of the University with a view to enabling a teacher who is for the time being holding a responsible position of national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignments, to retain his increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if in accordance with the Statutes:

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the University for the period of such assignment.

(5) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University or of any Institute shall be such as may be approved by the State Government.

(6) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(7) The Executive Council shall not take action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of faculties concerned.

(8) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University, or to a committee appointed by it.

(9) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice-Chancellor. One-third of the members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting.

(10) All decisions of the Executive Council shall be taken on the basis of the opinion of the majority of the members who are present in the meeting. Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes, the Chairperson of the Executive Council or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(11) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

26.(1) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and subject to the provisions of this Act and the Statutes, have the power of regulations of prescribing all courses of study and determining curricula, and shall have control on teaching and other educational programmes within the University.

The Academic
Council

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Deans;
- (iii) all Heads of Departments of the University;
- (iv) the Controller of Examinations;
- (v) two Professors, two Associate Professors and two Assistant Professors from each faculty of the University (including that of the colleges affiliated by the University) to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (vi) Chief Conservator of Forests, Research and Chief Conservator of Forests, Training of the Department of Forests and Wildlife, Uttar Pradesh;
- (vii) five persons of academic eminence to be nominated by the Vice-Chancellor.

(3) The Academic Council shall be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and research carried on or imparted in the University.

(4) It shall have power to make regulations consistent with this Act and the Statutes and Ordinances, as the case may be, relating to all academic matters subject to its control and to amend or repeal such regulations.

(5) In particular, without prejudice to the generality of the foregoing power, the Academic Council shall have the following powers and functions:-

- (i) to advise the Executive Council and the Vice Chancellor on all academic matters including matters relating to the courses and the examinations conducted by the University;
- (ii) to make recommendations for the institution of Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching posts including posts in research and extension and education;
- (iii) to make recommendations for the establishment or amalgamation or abolition of faculty, college, department of teaching, research and extension education;
- (iv) to make regulations regarding the admission of students to the University, and determine the number of students to be admitted;
- (v) to make regulations relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates;
- (vi) to make regulations relating to the conduct of examinations and to maintain and improve standards of education;
- (vii) to make recommendations to the Executive Council regarding the conferment of honorary degree;
- (viii) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers of the University;

(ix) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;

(x) to fix the time, mode and conditions of the competition for fellowships, scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;

(xi) to approve the syllabus for the prescribed courses of study and to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same.

(6) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor. One-third of the members of the Academic Council shall form the quorum at any meeting.

(7) All the decisions of the Academic Council shall be taken on the basis of the opinion of the majority of the members who are present in the meeting. Each member of the Council shall have one vote and if there be equality of votes, the Chairperson of the Academic Council, in addition, have a casting vote.

(8) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairperson of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of the papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

(9) The term of office of the nominated members of the Academic Council, other than the *ex-officio* members, shall be three years.

The Finance
Committee

27.(1) The Finance Committee shall consist of,—

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;

(b) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to the State Government of the Environment and Forest Department or his/ her nominee not below the rank of Secretary;

(c) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to the State Government of the Higher Education Department or his/ her nominee not below the rank of Secretary;

(d) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to the State Government of the Finance Department or his/ her nominee not below the rank of Secretary;

(e) the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to the State Government of the Horticulture and Food Processing Department or his/ her nominee not below the rank of Secretary;

(f) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(g) the Deans;

(h) the Registrar;

(i) the Controller of Examinations; and

(j) the Finance Controller, who shall also be the Secretary of the Committee.

(2) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:-

(i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

(ii) to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council. All proposals relating to revision of grades, upgradation of pay scales and those items which are not included in the budget shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Executive Council;

(iii) to consider the annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Controller and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Executive Council;

(iv) to fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council;

(v) to give its views and advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University.

(3) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendation of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreements and if the Executive Council again disagrees with the recommendation of the Finance Committee, the matters shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(4) Every meeting of the Finance Committee shall be presided over by the Vice-Chancellor. One-third of the members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting.

(5) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred on it by this Act or the Statutes made thereunder.

28. (1) The University shall have faculties of Forestry, Horticulture and such other faculties as may be prescribed.

The Faculties
and the Head of
Department

(2) Each faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have subjects of study as may be assigned to it by the Ordinances and Statutes.

(3) There shall be a Board of each faculty, the constitution (including the term of office of its members), powers and duties of which shall be such as may be prescribed.

(4) The Dean of Faculty shall be the Chairman of the Board of the concerning Faculty and be responsible for,—

(a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty; and

(b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

(5) In each department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statutes.

(6) The Head of Department shall be responsible to the Dean for the organization of teaching in the Department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances or the Statutes.

(7) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances or the Statutes, Boards of Studies in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.

29.(1) There shall be an Admission Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the subsequent Ordinances or Statutes.

Admission
Committee

(2) The Admission Committee shall have the power to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.

(3) Subject to the superintendence of the Academic Council, the Admission Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission to various courses of studies in the University.

Examination
Committee

(4) Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, seats shall be reserved for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of Citizens in admission to any course of study in the University or any institute under the University by such orders which may be issued and regulated by the State Government by notification in *Gazette*.

(5) No student admitted to the University or its affiliated Colleges in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University and the Vice-Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

30.(1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the subsequent Ordinances or Statutes.

(2) The Committee shall supervise generally all examinations of the University, including moderation and tabulation and perform the following other functions namely:-

(a) to appoint examiners and moderators and if necessary, to remove them;

(b) to review from time to time the results of University examinations and submission of reports thereon to the Academic Council;

(c) to make recommendations to the Academic Council for the improvements of the examination system;

(d) to scrutinise the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalize the same and declare the results of the University.

(3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committees as it thinks fit, and in particular, may delegate to any one or more persons or sub-committee the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examination Committee or, as the case may be for a sub-committee or any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3) to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

Others
Authorities

31. The constitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-VII

AFFILIATION AND RECOGNITION OF COLLEGES

Affiliated
Colleges

32.(1) The Executive Council may admit any colleges of Forestry and Horticulture, which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of sub-section (7), withdraw or curtail any such privilege.

(2) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement with any other affiliated college situated in the same local area, or with the University, for cooperation in the work of teaching and research.

(3) Save as provided in this Act, the Management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staffs.

(4) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.

(5) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorized by it in that behalf, and the report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.

(7) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (6) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-sections (1) and (7), if the Management of an affiliated college has failed to fulfil the conditions of affiliation the Chancellor may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation thereof.

33.(1) Constituent Colleges shall be such as may be named by the Statutes and shall be maintained by the University or by the Government.

Constituent
College

(2) The Principal of a Constituent College shall have general control over the staffs of the college and he may exercise such other powers as may be prescribed.

34. The University on the recommendations of the University Grants Commission, may grant in the manner prescribed to an affiliated college as an autonomous college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of varying, for the students receiving instructions in the college, the courses of study prescribed by the University and holding examination in the courses so varied.

Autonomous
College

CHAPTER-VIII

APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHER AND OFFICERS AND OF NON-TEACHING STAFFS

35.(1) Subject to the provisions of this Act, the teachers of the University shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee in the manner hereinafter provided. The Selection Committee shall meet as often as is required for the appointment of teachers and also well before the superannuation of teachers:

Appointment of
Teacher

Provided that the reservation policy of the Government shall be duly adhered to while recruiting/ appointing teachers.

(2) The appointment of every such teacher not being an appointment under sub-section (3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year:

Provided that no order of termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed in the case of a teacher of the University, except by order of the Executive Council made after considering the report of the Vice-Chancellor, and (unless the teacher is himself the Head of Department), the Head of the Department concerned:

Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are proposed to be terminated:

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, the period of probation shall stand extended until the final order of the Executive Council or until the approval of the Vice Chancellor is communicated to the teacher concerned.

(3) In the event of a requirement for an officiating appointment in a vacancy caused by the grant of leave to a teacher of the University other than a Professor, the procedures may be such as may be prescribed in the Ordinances or Statutes.

(4) The Selection Committee for the appointment of a teacher of the University shall consist of,—

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson thereof;
- (ii) the Head of the Department concerned:

Provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee, when he is himself a candidate for appointment or when the post concerned is of a higher rank than his substantive post and in that event his office shall be filled by the Professor in the Department and if there is no professor, then the Dean of the Faculty;

(iii) in the case of a Professor or Associate Professor, three experts, and in any other case two experts to be nominated by the Chancellor;

(iv) one representative each of the Scheduled Caste/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding faculty in Indian Universities or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel;

(b) The Board of each Faculty shall maintain a standing panel of ten or more experts in each subject of study, and every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on the panel;

(c) The panel referred to in clause (a) shall be revised after every three years;

(d) The Chancellor or the Vice-Chancellor as the case may be, intimate in a specified order, a larger number of names of experts than required under sub-section (4) for serving as his nominees on the Selection Committee. In such a case where any person whose name appears higher in the specified order is not available for a meeting of the selection committee, then, the person whose name appears nearest lower in the specified order shall be requested to serve on the Committee.

(6) No recommendation made by a Selection Committee referred to in sub-section (4) shall be considered to be valid unless one of the experts had agreed to such selection.

(7) Subject to the provisions of sub-section (6), the majority of the total membership of any Selection Committee shall form the quorum of any of such Committee:

Provided that in the case of a Professor or an Associate Professor, the persons present to form the quorum must include at least two experts.

(8) It shall be open to the Selection Committee to recommend one or more but not more than three names for each post.

(9) (a) In the case of appointment of a teacher of the University, if the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement, and his decision shall be final:

Provided that if the Executive Council does not take a decision on the recommendations of the Selection Committee within a period of four months from the date of the meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final;

(b) Where the failure of the Executive Council to take a decision within the period specified in the proviso to clause (a) is not attributable to any fault of the Executive Council, the Chancellor may require the Executive Council to take a decision within such time as the Chancellor may from time to time allow, and may direct the Vice-Chancellor to call a meeting of the Executive Council for that purpose:

Provided that,-

(i) if the Executive Council does not agree with the recommendations made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement and his decision shall be final;

(ii) if the Executive Council does not take a decision within the time allowed by the Chancellor, the Chancellor shall decide the matter and his decision shall be final.

(10) The disqualification of members of Selection Committee for appointment of teachers of the University on the ground of interest for participating in the deliberations of such Committees and other matters relating to appointment of such teachers shall be as prescribed by the Statutes.

(11) No selection for any appointment under this section shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three issues of two newspapers having adequate circulation in Uttar Pradesh.

(12) Notwithstanding anything contained in this section, the Executive Council, with the prior approval of the Chancellor may appoint on the post of a teacher, any Government servant who possesses the requisite minimum qualifications prescribed for the post. The emoluments and allowances of such appointed teachers shall be as decided in this regard by the State Government.

36. Notwithstanding anything contained in this section, the Executive Council, with the prior approval of the Chancellor, may appoint teachers in the level of Associate Professor and/or Professor by way of deputation of senior officers of Forest Service and Horticulture Department serving in the pay scale commensurate to the post, the provision and procedures of which may be as laid down in the Statutes and Ordinances.

Deputation of officers

37. The pay scale for different categories of teachers (Professors, Associate Professors and Assistant Professors) will be as per the prevailing pay scale fixed by the State Government in other Universities of the State.

Pay Scale for different teachers

38.(1) Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act and the Statutes.

Contract of appointment of teachers of the University

(2) The original contract shall be lodged with the Registrar and copy thereof shall be furnished to the officer of teacher concerned.

(3) In the case of an officer or teacher employed before the commencement of this Act, all contracts in force, immediately before such commencement, shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of this Act or the Statutes be deemed to have been modified by the said provisions.

39. The University shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be specified by general or special order of the State Government, such pension, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection with the discharge of their duties under the Uttar Pradesh Universities (Provisions Regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

Pension, provident fund, etc.

Limit of additional remunerative work permissible to teachers	40. (1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of the University for any duties performed in connection with any examination conducted by an Indian University or anybody other than Public Service Commission shall be such as may be prescribed. (2) No teacher shall at any time hold more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with examination. Explanation: The words "remunerative office" includes the offices of Warden or Superintendent of a Hall or Hostel.
Tribunal of Arbitration	41.(1) Any dispute arising out a contract of appointment referred to in Section 38 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one member (who shall act as Convener) nominated by the Chancellor. (2) If for any reason, a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal, the appropriate person or body concerned shall nominate another person in accordance with provisions of sub-section (1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled. (3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties. (4) The Tribunal of Arbitration shall have the power,- (a) to regulate its own procedure; (b) to order re-instatement of the officer or teacher concerned; and (c) to award salary to the officer or teacher concerned, after deducting therefrom such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, dismissal or termination from service. (5) No suit or proceeding shall lie in any Court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration: Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (3) shall be executable by the lowest Court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of that Court.
Service conditions of non-teaching staff	42. (1) The direct recruitment and promotion on different posts in different services shall be made by the respective appointing authority on the recommendations of the Recruitment Board or the Promotion Committees as prescribed in the Statutes. (2) The strength of the services of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Executive Council and approved by the Government from time to time. (3) The determination of age and length of service or experience shall be counted as on 1st July of that recruitment year, which starts from 1st July of every year. (4) For direct recruitment or promotion on different posts <i>etc.</i>, age, minimum qualification, experience, reservation and other conditions of services shall be such as may be prescribed. (5) The pay scale for non-teaching positions at different levels will be as per the prevailing pay scale fixed by the State Government with subsequent revisions. (6) Based on the requirement of specific ancillary services for the upkeep, maintenance and management of the University, it shall be open to the Executive Council to engage agencies providing services through outsourcing as per the prevailing guidelines of the Government.

CHAPTER-IX
ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

43.(1) No student shall be eligible for admission to the course of study for a degree unless,—

Admissions of
Students and
International
Students

(a) he has passed,—

(i) the intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or of any University of Board incorporated by any law for the time being in force; or

(ii) any examination or any degree recognized by the University, being an examination or degree recognized by the University, as equivalent to the Intermediate Examination or to a degree of the University; and

(b) he/she possesses such further qualifications, if any, as may be specified in the Ordinances or the Statutes.

(2) The conditions under which students may be admitted to the diploma course of the University shall be prescribed by the Ordinances and the Statutes.

(3) The University shall have the power to recognize (for the purpose of admission to a course of study for a degree), as equivalent to its own degree, any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of any Indian University, any examination, conducted by any other authority.

(4) Any student whose work or conduct is unsatisfactory may be removed from the University in accordance with the provisions of the Ordinances or the Statutes.

(5) In order to promote the University as one of the Global Study Destinations under the National Education Policy, and to promote mutual learning between it and foreign higher education Institutes through linkage and cooperation, the University shall be open to admit international students as well as enable its students and faculties to undertake part of the learning in the collaborating Institute of the foreign country, according to the guidelines of the UGC.

44.(1) The halls and hostels of the University shall be,—

Halls and Hostels
and Delegacy of
the University

(a) those maintained by the University and named in the Statutes;

(b) those maintained by the Executive Council of the University on such general or special conditions as may be provided by the Ordinances or the Statutes;

(2) The warden and other staff of the halls and hostels shall be appointed in the manner provided by the Ordinances or the Statutes.

(3) The Executive Council shall have power to suspend or withdraw the recognition of a hall or hostel which is not maintained in accordance with the conditions referred to in clause (b) of sub-section (1):

Provided that no such action shall be taken without giving to the Management of such hall or hostel an opportunity of making a representation against the proposed action.

(4) There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any constituent college or hall. The constitution, power and duties of the Delegacy shall be as prescribed by the Statutes.

45. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Examination Committee shall direct the arrangements for the conduct of examinations.

Examinations

CHAPTER-X

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

Statutes

46. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for,—

(a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;

(b) the selection, appointment and term of office of the members or the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership, and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the powers and duties of the officers of the University;

(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of Principals and other teachers or the University and of affiliated and associated colleges, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement);

(e) the recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement) of persons appointed to other non-teaching posts under the University;

(f) the constitution of pension or provident fund or the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(g) the conferment of degrees and diplomas;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and reorganization of faculties;

(k) the establishment of department of teaching in the faculties;

(l) the establishment, abolition and reorganization of halls and hostels maintained by the University;

(m) the number, minimum qualification, experience, the emoluments and other conditions of service, including the age of retirement and provisions relating to compulsory University or an affiliated or associated college and the preparation and maintenance of record of their service;

(n) the institution of scholarships, fellowships, studentships, medals and prizes;

(o) the qualifications, conditions and manner of the registration of graduates and the maintenance of register of registered graduates;

(p) the holding of convocation, if any; and

(q) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes how made

47.(1) The First Statutes of the University shall be made by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) The State Government may, by notification in the *Gazette*, amend whether by way of addition, substitution or commission, the First Statutes at any time and any such amendment may be retrospective to a date not earlier than the date of such commencement.

(3) The Executive Council may after that make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1).

(4) The Executive Council shall not propose the draft of any Statutes affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(5) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal of a Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent there from or remit it to the Executive Council for further consideration.

(6) Any Statute passed by the Executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section, the State Government, in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or the State or National Education Policy with regard to the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement, may with the assent of the Chancellor make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1).

(8) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the Statutes made by the State Government under sub-section (7) or to make new or additional Statutes inconsistent with Statutes.

48.(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, the Ordinances may provide for any matter relating to the University. Ordinances

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the number of students and the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations of degree and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas;

(d) the conditions of the award of the scholarship, fellowships, studentships, bursaries, medals and prizes;

(e) the conditions of residence of students at the University and the management of halls and hostels maintained by the University;

(f) the recognition and management of halls and hostels not maintained by the University;

(g) the maintenance of discipline among the students of the University and the punishment including suspension, expulsion or restrictions for breach of discipline or for any violent or indecent ragging of fresh students by their seniors;

(h) all matters relating to correspondence and private candidates;

(i) the number of qualifications, emoluments and other conditions of service, including the age of retirement of salaried officers of the University other than teachers and the preparation and maintenance of records of their service;

(j) the fees which may be charged by the University or by an affiliated or associated college for any purpose related to the University;

(k) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators.

Ordinances
how made

- (l) the conduct of examinations;
- (m) the remuneration and allowances including traveling and daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University;
- (n) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for.

49. (1) The Ordinances shall be made by the Executive Council and shall be submitted to the Chancellor for his approval.

(2) Save as otherwise provided in this section the Executive Council may, from time to time, make new or additional Ordinances:

Provided that no Ordinances shall be made,—

(a) affecting the admission of students, or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of Section 43 for admission to the degree courses of the University, unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or

(b) affecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty or Faculties concerned and unless a draft of such Ordinances has been proposed by the Academic Council; or

(c) affecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income or expenditure of the University, unless a draft of the same has been approved by the State Government.

(3) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2) but may reject it or return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Executive Council may suggest.

(4) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted, as soon as may be, to the Chancellor.

(5) The Chancellor may at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (2), and from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance, such Ordinances shall become void.

(6) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (2) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

Regulations

50.(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, an authority or other body of the University may make Regulations for the conduct of their business and that of the committees,—

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;

(b) providing for all matters which by this Act, the Statutes are to be provided by Regulations; and

(c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for, by this Act and the Statutes and Ordinances.

(2) The Regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for the keeping of record of the proceedings of such meetings.

(3) The Executive Council may direct any authority or other body of such University to cancel or to amend in such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body; and such authority and body shall thereupon cancel or amend the Regulation accordingly:

Provided that any authority or other body of the University, if dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor who may after obtaining the views of the Executive Council pass such orders as he thinks fit.

(4) The Academic Council may subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree, diploma and Certificate Programs of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.

(5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4) but may return it to the Board for further consideration together with its own suggestion.

CHAPTER-XI

ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS

51. The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council.

Annual Report

52.(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all money accounted to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

Accounts and Audits

(2) A copy of the annual accounts and the balance-sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

(3) The annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the State Government.

(4) (i) The Executive Council shall also prepare before such date, as may be prescribed, the budget for the ensuing year;

Payment by
State
Government
to University

(ii) The State Government shall allocate to the University, in each financial year, such sums of money and in such manner as may be considered necessary for the exercise of its powers and discharge of its functions under this Act;

Fund of the
University

(iii) The University shall establish a fund to be called the 'University Fund' which shall consist of,—

(a) any contribution or grants or loans by the State Government or the Central Government;

(b) the income of the University from all sources including income from affiliation fees and charges;

(c) the moneys received by the University by way of grants, loans, gifts, donations, benefactions, bequests or endowments and other grants, if any;

(d) the moneys received by the University from the collaborating Industries in terms of the provisions of the Memorandum of Understanding entered between the University and the Industry, for establishment of sponsored chairs, fellowships or infrastructure facilities of the University; and

(e) the moneys received by the University in any other manner or from any other sources;

(iv) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.

(5) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed, which is proposed to be included in the budget, shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee which may make recommendations thereon.

(6) The Executive Council shall after considering the recommendations, if any, of the Finance Committee approve the budget finally.

(7) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure,—

(a) either not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the State Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organisation or foundation, save in accordance with the terms of such grant:

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of section 11, the Vice-Chancellor may in the case of the fire, flood, excessive rainfall or other sudden or unforeseen circumstances incur non-recurring expenditure not exceeding rupees five lakh not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure;

(b) on any litigation in opposition to any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act or Statutes.

Surcharge

53.(1) An officer specified in any of the clauses (b) to (k) of Section 8 shall be liable to surcharge to the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or mis-application shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-XII

MISCELLANEOUS

Manner of the appointment of the officers and the members or authorities

54. (1) Except as expressly provided by this Act or the Statutes made thereunder, the members of authorities of the University, shall so far as may be, chosen by methods other than election.

(2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any appointment according to seniority or other qualifications, the manner of determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.

(3) Where a provision for an election is made in this Act, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote and where provision for an election is made in the Statutes it shall be held in such manner as the Statutes may provide.

(4) Except as expressly provided by this Act, no officer or employee of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.

Filling of casual vacancies

55. (1) Any casual vacancy among the members, other than *ex-officio* members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up was chosen; and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

(2) A person who is a member of an authority of the University as a representative of another body whether of the University or outside shall retain his seat on such authority for so long as he continues to be the representative of such body.

56. No act or proceedings of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of,—

Proceedings not to be invalidated by vacancies

- (a) any vacancy or defect in the constitution thereof;
- (b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so; or
- (c) any defect in the selection, nomination or appointment of a person acting as members thereof; or
- (d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

57. The Executive Council may, by a two-third majority of the members present and voting, remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or has behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw with draw from any person any degree, diploma, or certificate conferred or granted by the University.

Removal from membership of the University

58. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, or whether any decision of any authority or officer of the University is in conformity with this Act or the Statutes made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final:

Reference to the Chancellor

Provided that no reference under this section shall be made,—

- (a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;
- (b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved:

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances,—

- (i) act *suo-moto* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;
- (ii) where the matter referred relates to a dispute about the election, and the eligibility of the persons so elected in doubt, pass such orders of stay, as he thinks just and expedient.

59.(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document of the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Mode of Proof of University

(2) No officer or employee of the University shall, in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause.

60. The Vice-Chancellor, Registrar, Finance Controller and other employees of the University shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Officers and employee to be public servants

Bar of suit	61.No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the University or any Officer or authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or the rules or the Statutes made thereunder.
-------------	--

CHAPTER-XIII

TRANSITORY PROVISIONS

Constitution of authority	62. (1) Every authority of the University shall, as soon as may be, after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act. (2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the State Government may, by order, direct by whom and in what manner the powers, duties and functions exercisable or dischargeable under this Act by any authority of University other than the Executive Council shall be exercised or discharged.
Power to remove difficulties	63. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient published in the <i>Gazette</i> , make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing difficulties: Provided that no such order shall be made after the expiry of the term of two years from the date of commencement of this Act. (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislature, as soon as may be, after it is made. (3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.
Repeal and saving	64. (1) The Uttar Pradesh Forestry and Horticulture University Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 8 of 2026) and the Uttar Pradesh Forestry and Horticulture University Second Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 11 of 2026) are hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The protection of forests and wildlife in the State, increasing forest and tree cover, and progress in the horticulture sector are among the top priorities of the State Government. Currently, there is no Forestry and Horticulture University in the State. The establishment of a Forestry and Horticulture University will not only lead to progress in the field of forest and wildlife protection, afforestation, and horticulture, but will also provide individuals and students interested in agriculture an environment with modern knowledge and training in forestry and horticulture, as well as economic and environmental benefits.

In view of the above, with aim of spreading and enhancing the knowledge of forestry science, wildlife, climate change, horticulture and its allied branches among the non-governmental organizations, local people, farmers *etc.* in the State of Uttar Pradesh, it was decided to establish a State Forestry and Horticulture University at Gorakhpur in Uttar Pradesh by the name of "The Uttar Pradesh Forestry and Horticulture University."

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Forestry and Horticulture University Second Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no.11 of 2026) was promulgated by the Governor on 13th May, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.